

बेबस से ट्रंप ने नाटो देशों से मदद मांगी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खुलवाने के लिए

सभी नाटो सदस्यों ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह युद्ध यूरोपीय देशों का युद्ध नहीं है

-अंजन रॉय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मार्च। डॉनल्ड ट्रम्प का अहंकार कुछ समय पहले तक सातवें आसमान पर था। वे अपने ओवल ऑफिस में मीडिया के सामने कई देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों को शर्मिदा करने से नहीं चूकते थे।

अब, दुनिया ईरान के सामने डॉनल्ड ट्रम्प की बेइज्जती देख रही है, क्योंकि वे नाटो के सहयोगी देशों से मित्रते कर रहे हैं कि वे उन्हें उस जाल से बाहर निकालें, जो उन्होंने खुद ही होर्मुज़ स्ट्रेट में अपने लिए बुना था। युद्ध अब तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है और इसके समाप्त होने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। यह स्थिति ट्रम्प के उस दावे के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह तेज और छोटा युद्ध होगा, जो ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को समाप्त कर देगा।

ट्रम्प की मदद की अपील के जवाब में, यूनाइटेड किंगडम ने इस विचार को

■ सभी नाटो सदस्य, उस अपमान का बदला ले रहे हैं, जो अपने ऑफिस, वाइट हाउस के “ओवल ऑफिस” में राष्ट्रपति ट्रंप ने किया था। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल्लम खुल्ला खूब तिरस्कृत करते हुए ट्रंप ने कटाक्ष किया था कि क्या यूरोपीय देश, रूस का सामना करने के लिए तैयार हैं, अमेरिका की सहायता के बिना।

■ पर, अब अमेरिका उन्हीं यूरोपीय देशों से सहायता मांग रहा है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को जहाज़ों के आवागमन के लिए खुलवाने के लिए।

■ अब यह भी उजागर हो गया है कि ट्रंप के इस दावे में कुछ दम नहीं है कि अमेरिकी नौसेना के संरक्षण में वो कॉमर्शियल सामान ले जा रहे जहाज़ों को सुरक्षित स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पार करवा देंगे। ईरानी मिसाइल के बमबारी की क्षमता के सामने अब अमेरिकी नौ सेना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में प्रवेश करने का साहस नहीं जुटा पा रही।

■ ट्रंप की यह गर्वोक्ति भी मिथ्या साबित हुई कि अमेरिका के आक्रमण के कारण ईरान की समस्त नौ सेना तहस-नहस हो चुकी है। लोग सवाल उठा रहे हैं, अगर ट्रंप के वक्तव्य में सच्चाई है तो अमेरिका क्यों यूरोपीय देशों से मदद मांग रहा है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को आवागमन के लिए खुलवाने के लिए।

सिरे से खारिज कर दिया। वहाँ के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि उनका देश इस व्यापक युद्ध में शामिल नहीं होगा। स्टार्मर ने स्पष्ट रूप से कहा

कि यह “हमारा युद्ध” नहीं है, जिसमें ब्रिटेन को खींचा जाए। याद होगा कि ओवल ऑफिस में दुनिया के मीडिया के सामने हुई एक

बैठक में डॉनल्ड ट्रम्प ने तिरस्कार भरे अंदाज़ में स्टार्मर से पूछा था कि क्या उन्हें खुद पर इतना भरोसा है कि वे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

खार्ग आईलैंड पर सेना भेजेंगे ट्रंप?

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मार्च। खबरों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प कथित तौर पर खार्ग द्वीप पर कब्जा

■ अमेरिकी अधिकारियों ने कहा, अगर तेहरान की नाकेबंदी के कारण टैंकर फारस की खाड़ी में फंसे रहते हैं तो ट्रंप तेहरान के प्रमुख तेल भंडार, खार्ग आईलैंड पर कब्जा करने के लिए सेना भेज सकते हैं।

करने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। यह फारस की खाड़ी में स्थित एक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘आर्थिक अनुदान सीधे ईरानी दूतावास में ही जमा कराएं’

-सुकुमार साह-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मार्च। इजराइल, अमेरिका और ईरान से जुड़े बढ़ते संघर्ष का असर अब युद्धक्षेत्र से बहुत दूर तक दिखाई देने लगा है। नई दिल्ली में ईरानी दूतावास ने अपने शुभचिंतकों से अपील की है कि वे सीधे दूतावास में नकद दान करें, क्योंकि सामान्य बैंक ट्रांसफर के माध्यम से धन प्राप्त करने में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

यह अनुरोध इस बात को उजागर करता है कि पश्चिम एशिया में चल रहा भू-राजनीतिक टकराव किस तरह वैश्विक वित्तीय प्रणाली से टकरा रहा है। राजनयिकों और विश्लेषकों का कहना है कि यह व्यवधान केवल तकनीकी कारणों से नहीं है। बल्कि यह वॉशिंगटन के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के प्रभाव को दर्शाता है, जिन्होंने लंबे समय से ईरानी संस्थाओं से जुड़े वित्तीय लेन-देन को सीमित कर रखा है।

ईरानी दूतावास ने भारत के अपने शुभचिंतकों से अनुरोध किया

■ एक्स पर लिखी एक पोस्ट में ईरानी दूतावास ने कहा, हम भारत के उन लोगों का धन्यवाद करते हैं, जो युद्ध ग्रस्त नागरिकों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन तकनीकी कारणों से ऑनलाइन माध्यम से अनुदान बैंक खाते में प्राप्त करना कठिन हो गया है, इसलिए हम आग्रह करते हैं कि अनुदान सीधे दूतावास में दिया जाए।

■ उन्होंने गूगल पे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करने का आग्रह भी किया।

■ इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि ईरान पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का दूरगामी असर हो रहा है, यहाँ तक कि वे देश जो अमरीकी प्रतिबंधों को नहीं मानते हैं, उनके वित्तीय संस्थानों से भी लेन देन नहीं हो जा रहा है।

अमेरिकी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला ऑफिस ऑफ फॉरिन एसेट्स

कंट्रोल (ओएफएसी) इन प्रतिबंधों को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

खाड़ी वॉर पर भ्रामक पोस्ट करने के आरोप में 19 भारतीय गिरफ्तार

दो चरणों में गिरफ्तारियाँ की गई हैं, पहले चरण में शनिवार को 2 व सोमवार को 17 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मार्च। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने 35 लोगों, जिनमें 19 भारतीय शामिल हैं, की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो पोस्ट किए, जिनमें मध्य-पूर्व में चल रहे युद्ध से जुड़ी भ्रामक या मनगढ़ंत सामग्री थी। ज्ञातव्य है कि यह युद्ध पिछले महीने के अंत में तब शुरू हुआ था, जब अमेरिका-इजरायल बलों ने ईरान पर हवाई हमले किए थे।

दुबई के अधिकारियों ने कहा कि जांच में सामने आया कि आरोपियों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके क्षेत्रीय तनाव से जुड़ी फर्जी फुटेज और कथार्थ फैलायीं। उनके खिलाफ त्वरित (फास्ट-ट्रैक) मुकदमा चलाया

■ जाँच में सामने आया कि इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर फर्जी फुटेज और समाचारों को प्रसारित किया, इन सभी पर फास्ट ट्रैक मुकदमा चलेगा तथा यूएई के कानून के अनुसार, एक साल की कैद व एक लाख दिरहम का जुर्माना हो सकता है।

■ यूएई के अटॉर्नी जनरल हमद अल शम्स ने कहा, इन लोगों पर ईरानी हमलों के महिमा मंडन, ईरान के नेतृत्व की तारीफ करने का आरोप भी है।

■ अब तक कुल 35 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनमें से 10 लोगों को शनिवार को गिरफ्तार किया गया, उनमें 2 भारतीय शामिल हैं।

■ दूसरे चरण में एक समूह में सात आरोपी पकड़े गए, इनमें 5 भारतीय, एक नेपाली, एक बांग्लादेशी है तथा दूसरे समूह में गिरफ्तार 6 लोगों में से 5 भारतीय व एक पाकिस्तानी है।

जाएगा। यह कार्रवाई दो चरणों में की गई। ताजा सूची में विभिन्न देशों के 25 लोग शामिल हैं, जिनमें 17 भारतीय हैं। इससे पहले शनिवार को 10 लोगों, जिनमें दो

भारतीय थे, की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था। यूएई के अटॉर्नी जनरल डॉ. हमद सैफ अल शम्स ने एक बयान में कहा कि यह कदम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर

रखी गई कड़ी निगरानी के बाद उठाया गया है, ताकि झूठी जानकारी और कृत्रिम (एआई से बनाई गई) सामग्री के प्रसार को रोका जा सके, जो (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

संसद में सुरक्षा अलार्म बजा

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मार्च। सोमवार को संसद के एक प्रवेश द्वार पर एक बूम बैरियर गिर जाने से तुरंत सुरक्षा अलार्म बजने लगा और बिक्क रिएक्शन टीन (क्यूआरटी) तुरंत सक्रिय हो गई। यह घटना संभवतः तेज़ हवा के कारण हुई एक तकनीकी खराबी से हुई।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बम के वरिष्ठ अधिकारी, जो संसद भवन परिसर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का आकलन

■ हवा के कारण पैदा हुई तकनीकी खराबी से बूम बैरियर अचानक गिर गया तो सुरक्षा अलार्म बज उठा, बाद में सुरक्षा टीम तुरंत एक्टिव हो गई, पता चला अलार्म सूठा था।

किया। सूत्रों के अनुसार जांच में पाया गया कि कोई सुरक्षा खतरा नहीं था। कुछ समय बाद विजय चौक के पास स्थित इस गेट से वाहनों की सामान्य आवाजाही फिर से शुरू कर दी गई।

सूत्रों ने बताया कि बूम बैरियर, जिसे उठाए बिना कोई वाहन अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, अचानक नीचे आ गया। माना जा रहा है कि यह तेज़ हवा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिहार में महागठबंधन “लॉयल्टी टैस्ट” में असफल हुआ

महागठबंधन के प्रत्याशी को जीतने के लिए 41 वोट चाहिए थे, पर, चार विधायक आए ही नहीं

■ बिहार में कुल 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना था, सभी 5 सीटें एनडीए ने जीत ली हैं। एनडीए के विजयी प्रत्याशी हैं, नितिन नबीन, शिवेश कुमार, नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर और उपेन्द्र कुशवाहा।

■ पांचवी सीट के लिए राजद ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था। महागठबंधन के पास कुल 35 वोट थे। शेष 6 वोटों की कमी के लिए ओवैसी की पार्टी के 5 और बसपा के एक विधायक का समर्थन पक्का कर लिया गया, लेकिन मतदान के समय कांग्रेस के तीन और राजद का एक विधायक गैर हाजिर रहा, नतीजा यह रहा कि महागठबंधन हार गया।

■ कांग्रेस के तीनों विधायक, सुरेन्द्र कुशवाहा, मनोज बिस्वास व मनोहर प्रसाद सिंह फोन बंद कर गायब हो गए थे, वहीं राजद के फैसल रहमान ने अपनी माँ की बीमारी को गैर हाजिरी का कारण बताया।

बिहार में महागठबंधन को बड़ी निराशा हाथ लगी। अंतिम समय में गठबंधन मजबूत करने के बावजूद, वह पाँचवी सीट जीतने के लिए आवश्यक 41 वोटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। आरजेडी के पास 35 विधायक थे, जो जीत के लिए ज़रूरी संख्या से छह

कम थे। इसलिए पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पाँच विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया था। एकमात्र बीएसपी विधायक ने भी महागठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन देने का वादा किया था, जबकि उम्मीद थी कि कांग्रेस के तीन विधायक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)



अपने बैंक में 10 वर्ष से अधिक समय से बिना दावे के पड़े अपने पैसे को उपयोग में लाने का समाधान पाएँ

UDGAM पर जाएँ और जानें कि बैंक से इसका दावा कैसे करें



- UDGAM पोर्टल पर पंजीकरण करें।
- खाताधारक का नाम, बैंक का नाम और जन्म तिथि, पैन कार्ड इत्यादि विवरण का उपयोग करके खोजें।

UDGAM केवल एक खोज सुविधा है। बिना दावे वाली जमाराशियों का दावा संबंधित बैंक(ओं) से करना होगा।

UDGAM पोर्टल पर बैंकों की सूची उपलब्ध है।



अधिक जानकारी के लिए,
<https://rbikehtahai.rbi.org.in/ud> पर विज़िट करें
फीडबैक देने के लिए, rbikehtahai@rbi.org.in को लिखें



जनहित में जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

विचार बिन्दु

घृणा हृदय का पागलपन है। –बायरन

सोनम वांगचुक के जेल में बिताए 170 दिन का हिसाब कौन देगा?

14 मार्च 2026 को भारत सरकार ने अचानक यह निर्णय लिया कि लद्दाख के प्रमुख पर्यावरण विद् और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के मुकदमे को वापस ले लिया जाए एवं उन्हें तत्काल रिहा कर दिया जाए।

उच्चतम न्यायालय में हर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने यह तर्क दिया कि सोनम वांगचुक देश द्रोही है एवं वे देश विरोधी भडकाऊ भाषण देते रहे हैं। अतः उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत जेल में रखना आवश्यक है।

यह उल्लेखनीय है कि 26 सितंबर 2025 को स्थानीय पुलिस द्वारा अचानक सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया एवं उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया। इस कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना जमानत के एक वर्ष तक रखा जा सकता है। इस कार्रवाई के विरुद्ध सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। अब तक 24 बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई एवं इनमें से कई बार सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो स्वयं भी उपस्थित रही।

मैंने इसी समाचार पत्र में 7 अक्टूबर, 2025 को संपादकीय में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के समय एक लेख लिखा था। उस लेख में विस्तार से इस बात का उल्लेख किया गया था कि सोनम वांगचुक को कितने प्रकार के सम्मान पर्यावरण, शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उन्हें मिल चुके हैं और कैसे सरकार ने स्वयं उनको सम्मानित किया है।

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद और उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने पर उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उन पर लगाए जाने को भी चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार लगातार यह कहती रही कि की वांगचुक की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी थीं और वे राष्ट्र को खंडित करने का कार्य कर रहे थे। सरकार की ओर से अनेक दस्तावेज और उनके भाषण आरोपों के समर्थन में प्रस्तुत किए गये। अतः उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाना बहुत उचित था। प्रारंभ में गीतांजलि को जोधपुर जेल में अपने पति से मिलने की अनुमति भी नहीं मिली, जो बाद में उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद संभव हो पाई।

केंद्र सरकार और मीडिया ने चार-पांच माह तक लगातार इस प्रकार का वातावरण बनाया जैसे सोनम वांगचुक देश को तोड़ने के काम में लगे हुए थे और 24 सितंबर का जो हिंसा लद्दाख में भडकी, जिस में चार निर्दोष छात्रों की मृत्यु हुई, उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी।

सोनम वांगचुक की केवल एक ही ललती थी कि वे भारतीय जनता पार्टी को उनके खुद के द्वारा किए गए वादे को याद दिला रहे थे। भाजपा ने चुनाव के घोषणा पत्र में साफ लिखा था कि लेह लद्दाख को अलग राज्य बनाया जाएगा और उसे संविधान की छठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाएगा। यह इसलिए आवश्यक था कि लद्दाख सीमावर्ती क्षेत्र है और पर्यावरण दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। वहां के लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन पशुपालन है। यदि लद्दाख को छठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता तो वहां की भूमि के निस्तारण के संबंध में स्थानीय लोगों की भूमिका बढ जाती है। शायद यही कारण था कि केंद्र सरकार इसे न तो राज्य बनाना चाहती थी और न ही उसे छठवीं अनुसूची में सम्मिलित करना चाहती थी। जब केंद्र सरकार द्वारा अपने स्वयं के वायदे पूरे नहीं किया जा रहे थे तो लद्दाख के लोगों के पास आंदोलन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। सोनम वांगचुक इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और यह आंदोलन पूर्णतया अहिंसक था। युवा पीढ़ी के सन्न की भी एक सीमा होती है। दिनांक 24 सितंबर, 2025 को पुलिस द्वारा आंदोलनरत युवाओं पर बल प्रयोग किया गया जिसके बाद हिंसक घटनाएं हुईं। पुलिस की गोली से चार युवाओं की मौत हो गई। जैसे ही अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को इसके बारे में पता लगा, उन्होंने अपना अनशन तत्काल समाप्त किया और लोगों से आंदोलन को अहिंसक बनाए रखने की अपील की। वे महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने की बात सदैव अपने ह्र् संबोधन में करते रहे। इस सबके बाद क्या सोनम वांगचुक पर हिंसा भडकाने और देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने का आरोप लगाया जा सकता था?

स्थानीय जिला प्रशासन, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारी सम्मिलित हैं, ने पूरा निराधार प्रकरण बनाते हुए वांगचुक को अचानक गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेज दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कई सुनवाईयों के पश्चात जिन वीडियो के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया उन्हें देखने एवं उन्हें प्रस्तुत करने के लिए 17 मार्च को अंतिम तिथि दी, तो सरकार को लगा कि उनके झूठे मुकदमे की पोल शायद खुलने वाली है। सरकार ने आनन फानने में, सुप्रीम कोर्ट की डॉट-फटकार से बचने के लिए एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को निरस्त

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई देरी भी अक्षम्य है। यदि सुप्रीम कोर्ट प्रारंभ में ही उन दस्तावेजों को देख लेता, जिनके आधार पर केस बनाया गया तो शायद 6 माह तक वांगचुक को जेल में बंद नहीं रहना पड़ता। विलंब से हुआ न्याय, अन्याय से काम नहीं है। यही बात वांगचुक के प्रकरण में लापु होती है।

किए जाने की शर्मिंदगी से बचने के लिए 14 मार्च, 2026 को अचानक भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मुकदमा वापस लेते हुए उन्हें जोधपुर जेल से रिहा करने के आदेश दे दिए। उन्हें रिहा कर भी दिया गया है।

सोनम वांगचुक की तो रिहाई हो गई है, किंतु इस प्रकरण से कुछ प्रश्न अवश्य उत्पन्न होते हैं, जिन पर विचार करना आवश्यक है।

ऐसा कहा जाता है कि पुलिस किसी के भी विरुद्ध केस बना सकती है। कई बार प्रतिबंधित वस्तुएं जैसे अफीम आदि को

किसी के घर में स्वयं रखकर, उसे वहां से बरामद दिखाते हुए, लोगों को फंसा लेती है। इस प्रकार की मनोविधि, अब सरकार द्वारा उन लोगों के विरुद्ध काम में ली जाने लगी है जो सरकार का विरोध करते हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के निर्णय का विरोध करने के कारण किसी के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसा कड़ा कानून लगा देना, किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। यह न केवल गैर कानूनी है अपितु अनैतिक भी है।

सरकार यह बहाना ले सकती है कि यदि वह निर्णय है तो अदालत द्वारा बरी कर दिया जाएगा, किंतु जब तक अदालत द्वारा निर्णय होगा तब तक कई महीने और साल निकल चुके होंगे। यदि उसके बाद वह निर्दोष सिद्ध हो भी गया तो संबंधित व्यक्ति द्वारा जितना समय जेल में बताया गया और जितनी प्रताड़ना उसे जेल में झेलनी पड़ी, उसकी भरपाई कोई भी कैसे कर पाएगा?

पूरी ट्रायल चलने के बाद तो कई लोग बरी होते हैं, किंतु जो केस प्रारंभिक स्तर पर ही गलत बनाया गया हो और उसे निराधार मान कर आरोपी को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त घोषित कर दिया जाय तो यह निष्कर्ष निकालना गलत नहीं होगा कि उस व्यक्ति को गलत रूप से फंसाने की कार्रवाई की गई है। इस प्रकार की कार्रवाई सामान्यतः विपक्षी दलों के नेताओं पर होती हुई देखी जा रही है या उन लोगों पर होती हुई देखी जा रही है जो सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं किंतु सत्ताधारी दल की विचारधारा के विरोध में काम करते हैं। क्या वैचारिक स्तर पर अलग विचार रखना, किसी लोकतंत्र में अपराध मान लिया जाएगा? इसी प्रकार की कार्यवाही उस समय भी देखी गई थी जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरुद्ध किसी भूमि के प्रकरण में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया और न्यायालय ने प्रारंभिक सुनवाई में ही यह मान लिया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस भूमि से कोई लेना देना नहीं था। चुनाव से पहले किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई करना नितांत अनुचित था। अरविंद केजरीवाल पर भी शराब कांड के नाम पर ईडी, सीबीआई आदि में प्रकरण दर्ज किए गए किंतु न्यायालय ने यह माना कि उनके विरुद्ध आरोप निर्धारित होने लायक भी प्रकरण नहीं है। किंतु ऐसा मानने में जो समय निकल गया, उसके कारण जो मीडिया में ट्रायल हुआ और छवि को जो क्षति पहुंची, उसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है।

सोनम वांगचुक के प्रकरण में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था। उन्होंने अपने भाषणों में केवल यह कहा था कि यदि सरकार समय पर कार्रवाई नहीं करेगी तो वैसी स्थिति बन सकती है जैसी नेपाल या बांग्लादेश में बनी थी। केवल यह कह देने से, यह निष्कर्ष निकालना कि वह हिंसा के लिए भडका रहे थे और देश को विभाजित करने की बाद कर रहे थे, सही नहीं है। इससे कहीं अधिक उतेजनात्मक एवं समाज को तोड़ने वाले भाषण तो सत्ताधारी दल के बहुत से नेता और तथाकथित धर्म गुरु भी निरंतर देते रहे हैं किंतु उनके विरुद्ध सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती क्योंकि वे सत्ताधारी दल से संबंधित हैं।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई देरी भी अक्षम्य है। यदि सुप्रीम कोर्ट प्रारंभ में ही उन दस्तावेजों को देख लेता, जिनके आधार पर केस बनाया गया तो शायद 6 माह तक वांगचुक को जेल में बंद नहीं रहना पड़ता। विलंब से हुआ न्याय, अन्याय से काम नहीं है। यही बात वांगचुक के प्रकरण में लागू होती है। उनकी पत्नी को स्वयं अच्छी पर्यावरण विद् हैं, ने किस प्रकार 170 दिनों तक सामाजिक और कानूनी प्रताड़ना झेली है, यह वही जानती है। वांगचुक द्वारा जेल में बिताए गए 170 दिनों की क्षतिपूर्ति कौन और कैसे करेगा? क्या सरकार वांगचुक से सार्वजनिक माफी मांगेगी? जिन अधिकारियों ने झूठा प्रकरण बनाया और वांगचुक को जेल में रखा और फिर भी अपनी गलत बात पर खड़े रहे, उनके विरुद्ध क्या आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा तथा ऐसा करने का दुस्साहस भविष्य में किसी को ना हो?

आशा की जानी चाहिए कि सोनम वांगचुक के प्रकरण से सबक लेते हुए सरकार अब किसी भी व्यक्ति को झूठे केस में फंसेने की सोच से बचेगी और केवल राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेगी। इसी प्रकार अधिकारी भी केवल राजनीतिक आकाओं को इच्छा के अनुसार सभी अनुचित काम करने के लिए अब शायद तैयार न हों। उनसे अपेक्षा है कि वे संविधान एवं कानून की भावना के अनुसार काम करें।

सरकार ने केवल अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में लद्दाख जैसे शांत क्षेत्र को हिंसा की ओर धकेल दिया और वांगचुक जैसे देशभक्त, पर्यावरण विद् और शिक्षाविद् को जेल के सीखचों के पीछे डाल दिया। इस सबके बावजूद गीतांजलि ने धैर्य का परिचय दिया और ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे हिंसा को फैलाने का अवसर मिले।

केंद्र सरकार को चाहिए कि वह शीघ्र ही लद्दाख को राज्य बनाकर छठवीं अनुसूची में डालें ताकि व्यावसायिक, विस्तारवादी सोच के लोग वहां के पर्यावरण को नष्ट करके पशुपालकों की भूमि को हथियाने की कार्रवाई न कर सकें।

–अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र भाणावत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



बाबूलाल खराड़ी

राजस्थान अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। इस विविधता में जनजातीय समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक भौगोलिक दूरी, सीमित संसाधनों और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के कारण यह समाज विकास की मुख्यधारा से कुछ हद तक दूर रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, संस्कृति संरक्षण और पर्यटन के क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं। इन पहलों का उद्देश्य जनजातीय समाज को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना भी है।

किसी भी समाज के विकास की आधारशिला शिक्षा होती है। इसी दृष्टि से जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार के लिए आश्रम छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल विद्यालयों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया है। वर्तमान में प्रदेश में 445

आश्रम छात्रावास, 8 बहुउद्देश्य छात्रावास, 13 खेल अकादमी, 13 कॉलेज छात्रावास और 57 आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिनमें लगभग 46500 हजार से अधिक जनजातीय छात्र-छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। इसके साथ ही 3267 माँ-बाड़ी केंद्रों के माध्यम से करीब 90 हजार बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जा रही है।

शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने छात्र-छात्राओं के लिए मिलने वाले मैस भत्ते में भी वृद्धि की है। छात्रावासों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए यह राशि 2500 रुपये को बढ़ाकर 3250 रुपये प्रतिमाह किया गया है। खेल अकादमियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए भत्ता 2600 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले जनजातीय विद्यार्थियों की प्रोत्साहन राशि 5000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा और जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन राशि 8000 रुपये तथा और परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए 10 हजार रुपये निर्धारित किए गए हैं।

इन प्रयासों का उद्देश्य जनजातीय युवाओं को उच्च शिक्षा और पेशेवर क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। बाल विकास और पोषण को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने 244 नए माँ-बाड़ी केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से छोटे बच्चों को पोषण और प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही यहाँ कार्यरत कर्मचारियों के

मानदेय में लगातार दो वर्षों से 10-10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की गई है।

स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता जनजातीय क्षेत्रों में हमेशा एक चुनौती रही है। इस समस्या के समाधान के लिए एक अभिनव पहल के रूप में पारंपरिक जड़ी-बूटी विशेषज्ञों या ‘गुणीजनों’ को स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इन्हें प्रशिक्षित कर आधुनिक चिकित्सा संस्थानों से जोड़ा जा रहा है ताकि वे मरीजों और डॉक्टरों के बीच सेतु का कार्य कर सकें। टेलीमैडिसिन की सहायता से दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा जिलों में इस मॉडल का पायलट रूप से क्रियावाचन किया जा रहा है।

जनजातीय समाज की आजीविका का प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन और वनोपज है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रदेश के 16 लाख 65 हजार जनजातीय किसानों को मुफ्त संकर मक्का बीज वितरित किए गए हैं। पिछले दो वर्षों में 2 लाख 36 हजार मिनीकित भी किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त हाइब्रिड सब्जी बीज मिनीकित भी वितरित किए जा रहे हैं।

वन आधारित आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश के आठ जिलों में 530 वन घन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे डेढ़ लाख से अधिक महिलाएँ जुड़ी हुई हैं। इन केंद्रों के माध्यम से स्थानीय वनोपज के प्रसंस्करण और विपणन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। इससे जनजातीय महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को

नई दिशा मिल रही है। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत लगभग 5 हजार जनजातीय युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया है। खेलों के क्षेत्र में भी जनजातीय युवाओं ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। हाल ही में एशियन लेक्रोस प्रतियोगिता में जनजातीय खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है।

जनजातीय समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भी राज्य सरकार ने विशेष पहल की है। बजट में सीध माटी आदि घरोहर प्रलेखन योजना की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत जनजातीय कला, संगीत, चित्रकला, पाक परंपराओं और ऐतिहासिक स्थलों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। उदयपुर स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्थापित ‘बनफूल डिजाइन स्टूडियो’ के माध्यम से जनजातीय कलाकारों की कलाकृतियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों को पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के तहत गिरुा सुंदरी मंदिर, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीतामाता अभयारण्य, ऋषभदेव मंदिर और गीतमेस्वर जैसे धार्मिक-ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ा जा रहा है। इससे स्थानीय संस्कृति को वैश्विक पहचान मिलेगी और पर्यटन के माध्यम से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे, विशेष रूप से बांसवाड़ा और दूंगरपुर जैसे जिलों में। केंद्र और राज्य सरकार को योजनाओं

का समन्वय भी जनजातीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत राजस्थान के 37 जिलों के 208 ब्लॉकों के 6019 गांवों में सड़क, आवास, पेयजल, बिजली और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही आदि कर्मयोगी अभियान के माध्यम से हजारों कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य बजट में भी जनजातीय समाज के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। विशेष रूप से सहरीया, खैरवा और कथौड़ी जनजाति के परिवारों के लिए पोषण सहायता योजना को पारदर्शी बनाते हुए पात्र परिवारों की महिला मुखिया के खाते में प्रतिमाह 1200 रुपये भेजने की व्यवस्था की गई है। वन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय परिवारों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पट्टे प्रदान करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्रों में किए जा रहे ये प्रयास जनजातीय क्षेत्रों को विकास की नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी से आने वाले वर्षों में जनजातीय क्षेत्र आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास का एक सशक्त उदाहरण बन सकते हैं।

बाबूलाल खराड़ी, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री, राजस्थान।

राजस्थान के अशांत क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए नया कानून



सूर्यप्रतापसिंह राजawat.

भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है, जिसमें भारत के नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार शामिल है। यह अधिकार पूर्ण नहीं है; बल्कि आम जनता के हित में इस अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मीडिया में यह व्यापक रूप से बताया गया है कि राजस्थान अचल संपत्ति हस्तांतरण निषेध और अशांत क्षेत्रों में परिसर से किरायेदारों को बेदखली से सुरक्षा का प्रावधान अधिनियम, 2026 नामक एक अधिनियम संपत्ति के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने वाला माना जा रहा है।

इस बात पर व्यापक बहस होती रही है कि यह पहला ऐसा कानून है जो संपत्ति के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन देश के मौजूदा कानून की

स्थिति यह है कि संपत्ति के उपभोग-जिसमें संपत्ति का हस्तांतरण भी शामिल है-का नियमन संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम (Transfer of Property Act) के साथ-साथ अन्य कानूनों द्वारा भी किया जाता है; इन अन्य कानूनों में संविदा अधिनियम (Contract Act), राजस्थान राजस्व अधिनियम, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, राजस्थान क्रियाय नियंत्रण अधिनियम, पेजीकरण अधिनियम आदि शामिल हैं। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्तियों के स्वाभिवल वाली किसी भी भूमि को, ऐसे व्यक्तियों को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं हैं। इसी प्रकार, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली भूमि की प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, जनजातीय उप-योजना (Tribal Sub-Plan) और गैर-जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों के अंतर्गत संपत्ति के हस्तांतरण को विनियमित करने वाले ऐसे प्रावधान भी मौजूद हैं, जिन्हें भारत के संविधान द्वारा भली-भांति मान्यता प्रदान की गई है तथा जिनका नियमन राष्ट्रपति और राज्यपाल के आदेशों द्वारा किया जाता है।

अधिनियम 2026 में एक शब्द है जिसे अशांत क्षेत्र (Disturbed Area) कहा गया है। इस शब्द को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है, मानो यह कोई नया शब्द हो; जबकि यह बात

भली-भांति ज्ञात है कि प्रत्येक जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने-अपने जिले में संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण करें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जनता के हित में कानून-व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने की इस प्रक्रिया का उद्देश्य, पुलिस अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कानून-व्यवस्था को सुरक्षित रखना है, ताकि भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का वे निर्बाध रूप से उपभोग कर सकें।

अधिनियम 2026 समाज के एक खास तबके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक और तरीके से निपटता है, जो राजस्थान के जनसांख्यिकीय संतुलन और सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा पैदा करता है। इसलिए, अधिनियम 2026 का मकसद गलत तरीके से लोगों के एक जगह जमा होने को रोकना है; इसका मतलब है किसी एक समुदाय का ज़बरदस्ती या मजबूरी में एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाना, जिससे सांविधानिक तनाव पैदा हो सकता है या उन इलाकों का मिश्रित-समुदाय वाला चरित्र खत्म हो सकता है। अधिनियम का मकसद अशांत इलाकों में अचल संपत्तियों के किराएदारों को बेदखली से सुरक्षा देना भी है। भारत के संविधान में बंगाल के नोआखली दंगों का जो चित्रण है-जिसमें महात्मा गांधी शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं-वह हमें

लगातार यह याद दिलाता है कि देश को और अधिक विभाजित करने के किसी भी प्रयास को शुरू में ही कुचल देना आवश्यक है। इस चित्रण पर संविधान सभा के सभी माननीय सदस्यों ने विधिवत हस्ताक्षर किए थे। हम, भारत के लोग, विभाजन की विभीषिका को; गणतंत्र भारत में कश्मीर में हुए रसंहार को; और राजस्थान के विभिन्न जिलों में सहित भारत के अनेक हिस्सों से बहुसंख्यक समुदाय की आबादी के हो रहे निरंतर सामूहिक पलायन को न तो भूल सकते हैं और न ही हमें भूतना चाहिए। यह सामूहिक पलायन कोई आकस्मिक घटना नहीं है; बल्कि यह एक सोची-समझी योजना का परिणाम है। इसके फलस्वरूप तनावपूर्ण बिक्री (distress sale) की स्थिति उत्पन्न होती है; अतः यह अधिनियम उस सामाजिक बुराई का निवारण करना चाहता है, जिसे सहमति का निर्माण (manufacturing consent)-नाओम चॉम्स्की द्वारा गढ़ा गया एक शब्द-के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उपयुक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, यह कहना कि कलेक्टर को किसी क्षेत्र को मनमाने ढंग से अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, इस अधिनियम की गलत और चुनिंदा व्याख्या है। यह समझना भी अधिनियम की गलत व्याख्या है कि कलेक्टर के पास असंमित शक्तियाँ हैं। ऐसे निष्कर्ष किसी कानूनी दस्तावेज को बिना पूरी जानकारी के पढ़ने का ही परिणाम है। यह अधिनियम एक समय-सीमा के भीतर प्राकृतिक

न्याय के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्ण तंत्र प्रस्तुत करता है। अपील और पुनरीक्षण (रीवीजन) के प्रावधान, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के अनुरूप, समानता और न्याय की गारंटी देते हैं। विशेष जांच दल (Special Investigation Team) का गठन, अधिनियम 2026 के कार्यान्वयन में औचित्य को और अधिक सुदृढ़ करता है। उसकी भूमिका में सरकार को किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने से पूर्व राय बनाने में सहायता करना; सक्षम प्राधिकारों के अधिकारों को नियंत्रित, विनियमित, पर्यवेक्षित और मॉनिटर करने तथा राजस्थान के विभिन्न जिलों के संवेदनशील एवं अशांत क्षेत्रों में होने वाले बड़े पैमाने पर पलायन को रोकने का भी प्रयास करता है।

–सूर्यप्रतापसिंह राजawat, अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय

राशिफल मंगलवार 17 मार्च, 2026	
	
पंडित अनिल शर्मा	
चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत् 2082, शतभिषा नक्षत्र बुधवार प्रातः 6:09 तक, सिद्ध योग प्रातः 8:15 तक, वणिज करण प्रातः 9:23 तक, चन्द्रमा आज कुम्भ राशि में संचार करेगा।	
गृह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-कुम्भ, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह	
आज भद्रा प्रातः 9:23 से 8:55 तक है। आज मास शिवरात्री, पंचक, वारूणी पर्व प्रातः 9:23 तक है। आज शबे कदर (मु.) है।	
श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:37 से 11:06 तक, लाभ-अमृत 11:06 से 2:05 तक, शुभ 3:34 से 5:03 तक।	
राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:36, सूर्यास्त 6:33	

	मेष
	वृष
	मिथुन
	कर्क
	वृश्चिक

	सिंह
	कन्या
	तुला
	वृश्चिक
	मकर

	धनु
	कुंभ
	मकर
	वृश्चिक
	मिथुन

घर-परिवार में धार्मिक-मौलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

घर-व्यव्थी के खर्चों में अनावश्यक बृद्धि हो सकती है। वित्तािक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज परिवारों के व्ययहार के कारण दुःख हो सकता है। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आय में वृद्धि होगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। विचार हो सकता है। महत्वपूर्ण परामर्श मिल सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

घर-परिवार में धार्मिक-मौलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

घर-व्यव्थी के खर्चों में अनावश्यक बृद्धि हो सकती है। वित्तािक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज परिवारों के व्ययहार के कारण दुःख हो सकता है। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आय में वृद्धि होगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। विचार हो सकता है। महत्वपूर्ण पर

राजगढ़ धाम में 19 से चैत्र नवरात्रा मेला

नसीराबाद, (निर्स)। राजगढ़ स्थित मसाणिया भैरव धाम पर 19 मार्च से 28 मार्च 2026 तक आयोजित होने वाले चैत्र नवरात्रा मेला महोत्सव की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई। बैठक चम्पालाल महाराज के सानिध्य और उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी और धाम से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में धाम के व्यवस्थापक ओमप्रकाश सेन ने मेले की व्यवस्थाओं से जुड़े प्रमुख मुद्दे प्रशासन के समक्ष रखे। उपखंड अधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि 24 मार्च को आयोजित होने वाले विशाल छठ मेले से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। इस दिन धाम पर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। मेले को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस, यातायात, सड़क और चिकित्सा व्यवस्थाओं पर विशेष चर्चा की गई। भीड़ और जाम की स्थिति से बचने के लिए बाहनों की एकतरफा यातायात व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया गया।

अजमेर (कासं)। घरेलू व कमर्शियल गैस सिलेंडर संकट व महंगाई के मुद्दे को लेकर सोमवार को पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेन्द्र राठौड़ के नेतृत्व व शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल की अध्यक्षता में उत्तर विधानसभा के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी स्मारक पर दो घंटे का मौन सत्याग्रह किया। सभी कार्यकर्ताओं ने बाहों पर काली पट्टी बांधी और केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ अपना जमकर गुबार निकाला। मौन सत्याग्रह के दौरान रामधनु भी चलती रही। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेन्द्र राठौड़ ने कार्यकर्ताओं के काली पट्टी बांधी और सत्याग्रह प्रदर्शन में बैठाया।

सत्याग्रह के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेन्द्र राठौड़ ने कहा कि युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत विदेश नीति के कारण देश में तेल और



गैस संकट पर कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन।

गैस संकट के हालात पैदा हो गए हैं। पीएम मोदी ने जो भी देश की जनता से वादे किए, वो वादे पूरे नहीं किए। गैस संकट पर देश के बिगड़े हालात पर पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोली है कहा कि अमेरिका, इजरायल व ईरान युद्ध के दौरान केंद्र को विदेश नीति पूरी

तरह से फेल साबित हुई है। गैस के संकट के दौर में घरेलू व कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए और देश की जनता सिलेंडर लेने के लिए लाइनों में खड़ी है। गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ सरकार ठोस कदम नहीं उठा पा रही है, जिससे विकट हालात बनते जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि जल्द

रेगर समाज का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित

बिजयनगर, (निर्स)। स्थानीय मां गंगा छात्रावास में रविवार को रेगर समाज का होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। अखिल भारतीय रेगर समाज सुधारक समिति (परगना मसूदा) और क्षेत्रीय समिति बिजयनगर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में समाज के लोगों ने भाग लिया। समारोह का शुभारंभ परगना अध्यक्ष धनलाल मुणौत, छात्रावास अध्यक्ष सीताराम पंवार और अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा बाबुरावब डग। भीमारव अंबेडकर की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर किया गया। समाज बंधुओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली और शीतला सप्तमी को बधाई दी। कार्यक्रम में सीताराम पंवार का निर्बोध सर्वसम्मति से पुनः छात्रावास अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी।

‘ अजमेर को बजट में मिली कई सौगातें, विकास की राह पर तेजी से बढ़ेगा शहर ’

अजमेर, (कासं)। विधानसभा अध्यक्ष बासुदेव देवनानी की ओर से सोमवार को एक होटल में पत्रकारों के साथ होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों के साथ रंगों के पावन पर्व की खुशियां साझा करते हुए सभी को होली की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में शहर के कई पत्रकार और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि होली आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का पर्व है। इस प्रकार के आयोजन समाज में सकारात्मकता और आपसी संवाद को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करते हैं। इस दौरान ने देवनानी ने कहा कि वर्ष 2025-26 का बजट अजमेर के

■ पत्रकार होली मिलन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने साझा की खुशियां

लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है। इस बजट में अजमेर शहर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिससे आने वाले समय में शहर के विकास को नई गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अजमेर को विकास की अनेक महत्वपूर्ण सौगातें दी हैं, जिनसे शहर के आधारभूत ढांचे और सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि बजट में अजमेर के लिए कई विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इनमें प्रमुख

रूप से क्षेत्र में पु्कर घाटी सड़क चेड़ीकरण कार्य, माकड़वाली क्षेत्र में नई पुलिस चौकी की स्थापना, पुस्तकालय का निर्माण तथा स्वागत द्वार का निर्माण शामिल है।

इसके साथ ही बोरज तालाब की मरम्मत, शहर में पानी की निकासी की बेहतर व्यवस्था, चिकित्सा व शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार तथा विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने जैसे कार्य भी बजट में शामिल किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों के पूरा होने से अजमेर के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और शहर तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर होगा। सरकार का उद्देश्य है कि अजमेर को शिक्षा, पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में और अधिक सशक्त बनाया जाए।

नए एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने संभाला पदभार

अजमेर, (कासं)। अजमेर जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर कामकाज संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने जिले के सभी सीओ और थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था की और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए। एसपी अग्रवाला ने कहा कि दरगाह और पु्कर क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नशे के फैलाव का सबसे बड़ा कारण एसपी मांग है, इसलिए समाज को भी इसके खिलाफ जागरूक होकर सहयोग करना होगा। राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताओं को जमीनी स्तर पर लागू करना पुलिस की पहली जिम्मेदारी रहेगी। पुलिस का ध्येय आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि अजमेर एक धार्मिक नगरी है और यहां धार्मिक सौहार्द बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता होगी, ताकि सभी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हों।

शहर में बढ़ते राहनों को देखते हुए यातायात व्यवस्था को भी बेहतर बनाने के लिए टीमवर्क के साथ काम किया जाएगा। अजमेर से पकड़े गए आतंकी आरोपी के मामले पर उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अजमेर पुलिस, राजस्थान एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार समन्वय बनाकर जांच कर रही हैं।

गुलाबपुरा स्थापना दिवस पर विशाल मिर्गी जांच शिविर



गुलाबपुरा के स्थापना दिवस पर मिर्गी रोग जांच शिविर, जागरूकता संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

गुलाबपुरा (निर्स)। श्री प्राज्ञ मिर्गी रोग निवारक समिति, गुलाबपुरा के स्थापना दिवस के अवसर पर संस्था परिसर में विशाल मिर्गी रोग जांच शिविर, जागरूकता संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक जख्बर सिंह सांखला, समाहर्क अध्यक्ष मूलचंद नाबेड़ा, मुख्य अतिथि दिलीप मेहता, समारोह गौरव राजेन्द्र लोढ़ा, मुख्य वक्ता महावीर चौधरी, विशिष्ट वक्ता डॉ. आर.के. सुरेखा तथा स्वागतार्थ्यक्ष रणजीत सिंह कुमठ की उपस्थिति में हुआ। शिविर में डॉ. आर.के. सुरेखा व उनकी टीम, डॉ. आर.के. चंदक, डॉ. जी.एल. गुप्ता तथा डॉ. भागीरथ मीणा ने 223 मरीजों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया। इस अवसर पर अतिथियों ने संस्था के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए मरीजों को नियमित दवा लेने और चिकित्सकीय निर्देशों का पालन करने की सलाह दी।

मानद प्राध्यापक मेडिकल कॉलेज इंदौर की डॉ. अपूर्वा पौराणिक ने वीडियो संदेश के माध्यम से संस्था की गतिविधियों की प्रशंसा करते हुए इसे रिसर्च सेंटर के रूप में मान्यता दिलाने के लिए राजनीतिक समर्थन की आवश्यकता बताई। मुख्य वक्ता महावीर चौधरी ने संस्था के कार्यों को मानव सेवा की मिसाल बताया। कार्यक्रम के दौरान शिविर में सेवा देने वाले चिकित्सकों, पत्रकारों और सहयोगी सदस्यों का सम्मान भी किया गया। विधायक जख्बर सिंह सांखला ने

<

<

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज.

गांधी उद्यान -ब्यावर रोड, बिजयनगर

टीलीफोन नम्बर 01462-230051

ई-मेल -npvijaynagar@gmail.com

क्रमांक न.प्र.धि/भूमि/2026/6796

आम सूचना

दिनांक : 16.3.2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि निम्न वर्णित आवेदन के कृषि भूमि पर बसी निम्न कोटेशन में कृषि भूमि निम्नतः हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, निम्न पर निम्नानुसार कार्यवाही की जानर रहे दिवस ज्ञाते: अतः इन भूखण्ड के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह तत्कालीन / अग्रण के 7 दिवस की अवधि में कवायल में लिखित स्वर में प्रस्तुत कर दे। सवावधि पूरुन जाने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र.सं	आवेदनकर्ता का नाम	आवेदन का विवरण	कोटेशन/आम नाम	कमल सं.सं.	भू.सं	खेज
1.	LD/VJNR/ रेशना बानू लली 2025-26/308441	1. नहर करव नदी नीचे नरेंद्र सिंह भट्टा 2. नदी कोटेशन में 3. नदी के तट पर 4. नदी के तट पर 5. नदी के तट पर 6. नदी के तट पर 7. नदी के तट पर 8. नदी के तट पर 9. नदी के तट पर 10. नदी के तट पर 11. नदी के तट पर 12. नदी के तट पर 13. नदी के तट पर 14. नदी के तट पर 15. नदी के तट पर 16. नदी के तट पर 17. नदी के तट पर 18. नदी के तट पर 19. नदी के तट पर 20. नदी के तट पर 21. नदी के तट पर 22. नदी के तट पर 23. नदी के तट पर 24. नदी के तट पर 25. नदी के तट पर 26. नदी के तट पर 27. नदी के तट पर 28. नदी के तट पर 29. नदी के तट पर 30. नदी के तट पर 31. नदी के तट पर 32. नदी के तट पर 33. नदी के तट पर 34. नदी के तट पर 35. नदी के तट पर 36. नदी के तट पर 37. नदी के तट पर 38. नदी के तट पर 39. नदी के तट पर 40. नदी के तट पर 41. नदी के तट पर 42. नदी के तट पर 43. नदी के तट पर 44. नदी के तट पर 45. नदी के तट पर 46. नदी के तट पर 47. नदी के तट पर 48. नदी के तट पर 49. नदी के तट पर 50. नदी के तट पर 51. नदी के तट पर 52. नदी के तट पर 53. नदी के तट पर 54. नदी के तट पर 55. नदी के तट पर 56. नदी के तट पर 57. नदी के तट पर 58. नदी के तट पर 59. नदी के तट पर 60. नदी के तट पर 61. नदी के तट पर 62. नदी के तट पर 63. नदी के तट पर 64. नदी के तट पर 65. नदी के तट पर 66. नदी के तट पर 67. नदी के तट पर 68. नदी के तट पर 69. नदी के तट पर 70. नदी के तट पर 71. नदी के तट पर 72. नदी के तट पर 73. नदी के तट पर 74. नदी के तट पर 75. नदी के तट पर 76. नदी के तट पर 77. नदी के तट पर 78. नदी के तट पर 79. नदी के तट पर 80. नदी के तट पर 81. नदी के तट पर 82. नदी के तट पर 83. नदी के तट पर 84. नदी के तट पर 85. नदी के तट पर 86. नदी के तट पर 87. नदी के तट पर 88. नदी के तट पर 89. नदी के तट पर 90. नदी के तट पर 91. नदी के तट पर 92. नदी के तट पर 93. नदी के तट पर 94. नदी के तट पर 95. नदी के तट पर 96. नदी के तट पर 97. नदी के तट पर 98. नदी के तट पर 99. नदी के तट पर 100. नदी के तट पर 101. नदी के तट पर 102. नदी के तट पर 103. नदी के तट पर 104. नदी के तट पर 105. नदी के तट पर 106. नदी के तट पर 107. नदी के तट पर 108. नदी के तट पर 109. नदी के तट पर 110. नदी के तट पर 111. नदी के तट पर 112. नदी के तट पर 113. नदी के तट पर 114. नदी के तट पर 115. नदी के तट पर 116. नदी के तट पर 117. नदी के तट पर 118. नदी के तट पर 119. नदी के तट पर 120. नदी के तट पर 121. नदी के तट पर 122. नदी के तट पर 123. नदी के तट पर 124. नदी के तट पर 125. नदी के तट पर 126. नदी के तट पर 127. नदी के तट पर 128. नदी के तट पर 129. नदी के तट पर 130. नदी के तट पर 131. नदी के तट पर 132. नदी के तट पर 133. नदी के तट पर 134. नदी के तट पर 135. नदी के तट पर 136. नदी के तट पर 137. नदी के तट पर 138. नदी के तट पर 139. नदी के तट पर 140. नदी के तट पर 141. नदी के तट पर 142. नदी के तट पर 143. नदी के तट पर 144. नदी के तट पर 145. नदी के तट पर 146. नदी के तट पर 147. नदी के तट पर 148. नदी के तट पर 149. नदी के तट पर 150. नदी के तट पर 151. नदी के तट पर 152. नदी के तट पर 153. नदी के तट पर 154. नदी के तट पर 155. नदी के तट पर 156. नदी के तट पर 157. नदी के तट पर 158. नदी के तट पर 159. नदी के तट पर 160. नदी के तट पर 161. नदी के तट पर 162. नदी के तट पर 163. नदी के तट पर 164. नदी के तट पर 165. नदी के तट पर 166. नदी के तट पर 167. नदी के तट पर 168. नदी के तट पर 169. नदी के तट पर 170. नदी के तट पर 171. नदी के तट पर 172. नदी के तट पर 173. नदी के तट पर 174. नदी के तट पर 175. नदी के तट पर 176. नदी के तट पर 177. नदी के तट पर 178. नदी के तट पर 179. नदी के तट पर 180. नदी के तट पर 181. नदी के तट पर 182. नदी के तट पर 183. नदी के तट पर 184. नदी के तट पर 185. नदी के तट पर 186. नदी के तट पर 187. नदी के तट पर 188. नदी के तट पर 189. नदी के तट पर 190. नदी के तट पर 191. नदी के तट पर 192. नदी के तट पर 193. नदी के तट पर 194. नदी के तट पर 195. नदी के तट पर 196. नदी के तट पर 197. नदी के तट पर 198. नदी के तट पर 199. नदी के तट पर 200. नदी के तट पर 201. नदी के तट पर 202. नदी के तट पर 203. नदी के तट पर 204. नदी के तट पर 205. नदी के तट पर 206. नदी के तट पर 207. नदी के तट पर 208. नदी के तट पर 209. नदी के तट पर 210. नदी के तट पर 211. नदी के तट पर 212. नदी के तट पर 213. नदी के तट पर 214. नदी के तट पर 215. नदी के तट पर 216. नदी के तट पर 217. नदी के तट पर 218. नदी के तट पर 219. नदी के तट पर 220. नदी के तट पर 221. नदी के तट पर 222. नदी के तट पर 223. नदी के तट पर 224. नदी के तट पर 225. नदी के तट पर 226. नदी के तट पर 227. नदी के तट पर 228. नदी के तट पर 229. नदी के तट पर 230. नदी के तट पर 231. नदी के तट पर 232. नदी के तट पर 233. नदी के तट पर 234. नदी के तट पर 235. नदी के तट पर 236. नदी के तट पर 237. नदी के तट पर 238. नदी के तट पर 239. नदी के तट पर 240. नदी के तट पर 241. नदी के तट पर 242. नदी के तट पर 243. नदी के तट पर 244. नदी के तट पर 245. नदी के तट पर 246. नदी के तट पर 247. नदी के तट पर 248. नदी के तट पर 249. नदी के तट पर 250. नदी के तट पर 251. नदी के तट पर 252. नदी के तट पर 253. नदी के तट पर 254. नदी के तट पर 255. नदी के तट पर 256. नदी के तट पर 257. नदी के तट पर 258. नदी के तट पर 259. नदी के तट पर 260. नदी के तट पर 261. नदी के तट पर 262. नदी के तट पर 263. नदी के तट पर 264. नदी के तट पर 265. नदी के तट पर 266. नदी के तट पर 267. नदी के तट पर 268. नदी के तट पर 269. नदी के तट पर 270. नदी के तट पर 271. नदी के तट पर 272. नदी के तट पर 273. नदी के तट पर 274. नदी के तट पर 275. नदी के तट पर 276. नदी के तट पर 277. नदी के तट पर 278. नदी के तट पर 279. नदी के तट पर 280. नदी के तट पर 281. नदी के तट पर 282. नदी के तट पर 283. नदी के तट पर 284. नदी के तट पर 285. नदी के तट पर 286. नदी के तट पर 287. नदी के तट पर 288. नदी के तट पर 289. नदी के तट पर 290. नदी के तट पर 291. नदी के तट पर 292. नदी के तट पर 293. नदी के तट पर 294. नदी के तट पर 295. नदी के तट पर 296. नदी के तट पर 297. नदी के तट पर 298. नदी के तट पर 299. नदी के तट पर 300. नदी के तट पर 301. नदी के तट पर 302. नदी के तट पर 303. नदी के तट पर 304. नदी के तट पर 305. नदी के तट पर 306. नदी के तट पर 307. नदी के तट पर 308. नदी के तट पर 309. नदी के तट पर 310. नदी के तट पर 311. नदी के तट पर 312. नदी के तट पर 313. नदी के तट पर 314. नदी के तट पर 315. नदी के तट पर 316. नदी के तट पर 317. नदी के तट पर 318. नदी के तट पर 319. नदी के तट पर 320. नदी के तट पर 321. नदी के तट पर 322. नदी के तट पर 323. नदी के तट पर 324. नदी के तट पर 325. नदी के तट पर 326. नदी के तट पर 327. नदी के तट पर 328. नदी के तट पर 329. नदी के तट पर 330. नदी के तट पर 331. नदी के तट पर 332. नदी के तट पर 333. नदी के तट पर 334. नदी के तट पर 335. नदी के तट पर 336. नदी के तट पर 337. नदी के तट पर 338. नदी के तट पर 339. नदी के तट पर 340. नदी के तट पर 341. नदी के तट पर 342. नदी के तट पर 343. नदी के तट पर 344. नदी के तट पर 345. नदी के तट पर 346. नदी के तट पर 347. नदी के तट पर 348. नदी के तट पर 349. नदी के तट पर 350. नदी के तट पर 351. नदी के तट पर 352. नदी के तट पर 353. नदी के तट पर 354. नदी के तट पर 355. नदी के तट पर 356. नदी के तट पर 357. नदी के तट पर 358. नदी के तट पर 359. नदी के तट पर 360. नदी के तट पर 361. नदी के तट पर 362. नदी के तट पर 363. नदी के तट पर 364. नदी के तट पर 365. नदी के तट पर 366. नदी के तट पर 367. नदी के तट पर 368. नदी के तट पर 369. नदी के तट पर 370. नदी के तट पर 371. नदी के तट पर 372. नदी के तट पर 373. नदी के तट पर 374. नदी के तट पर 375. नदी के तट पर 376. नदी के तट पर 377. नदी के तट पर 378. नदी के तट पर 379. नदी के तट पर 380. नदी के तट पर 381. नदी के तट पर 382. नदी के तट पर 383. नदी के तट पर 384. नदी के तट पर 385. नदी के तट पर 386. नदी के तट पर 387. नदी के तट पर 388. नदी के तट पर 389. नदी के तट पर 390. नदी के तट पर 391. नदी के तट पर 392. नदी के तट पर 393. नदी के तट पर 394. नदी के तट पर 395. नदी के तट पर 396. नदी के तट पर 397. नदी के तट पर 398. नदी के तट पर 399. नदी के तट पर 400. नदी के तट पर 401. नदी के तट पर 402. नदी के तट पर 403. नदी के तट पर 404. नदी के तट पर 405. नदी के तट पर 406. नदी के तट पर 407. नदी के तट पर 408. नदी के तट पर 409. नदी के तट पर 410. नदी के तट पर 411. नदी के तट पर 412. नदी के तट पर 413. नदी के तट पर 414. नदी के तट पर 415. नदी के तट पर 416. नदी के तट पर 417. नदी के तट पर 418. नदी के तट पर 419. नदी के तट पर 420. नदी के तट पर 421. नदी के तट पर 422. नदी के तट पर 423. नदी के तट पर 424. नदी के तट पर 425. नदी के तट पर 426. नदी के तट पर 427. नदी के तट पर 428. नदी के तट पर 429. नदी के तट पर 430. नदी के तट पर 431. नदी के तट पर 432. नदी के तट पर 433. नदी के तट पर 434. नदी के तट पर 435. नदी के तट पर 436. नदी के तट पर 437. नदी के तट पर 438. नदी के तट पर 439. नदी के तट पर 440. नदी के तट पर 441. नदी के तट पर 442. नदी के तट पर 443. नदी के तट पर 444. नदी के तट पर 445. नदी के तट पर 446. नदी के तट पर 447. नदी के तट पर 448. नदी के तट पर 449. नदी के तट पर 450. नदी के तट पर 451. नदी के तट पर 452. नदी के तट पर 453. नदी के तट पर 454. नदी के तट पर 455. नदी के तट पर 456. नदी के तट पर 457. नदी के तट पर 458. नदी के तट पर 459. नदी के तट पर 460. नदी के तट पर 461. नदी के तट पर 462. नदी के तट पर 463. नदी के तट पर 464. नदी के तट पर 465. नदी के तट पर 466. नदी के तट पर 467. नदी के तट पर 468. नदी के तट पर 469. नदी के तट पर 470. नदी के तट पर 471. नदी के तट पर 472. नदी के तट पर 473. नदी के तट पर 474. नदी के तट पर 475. नदी के तट पर 476. नदी के तट पर 477. नदी के तट पर 478. नदी के तट पर 479. नदी के तट पर 480. नदी के तट पर 481. नदी के तट पर 482. नदी के तट पर 483. नदी के तट पर 484. नदी के तट पर 485. नदी के तट पर 486. नदी के तट पर 487. नदी के तट पर 488. नदी के तट पर 489. नदी के तट पर 490. नदी के तट पर 491. नदी के तट पर 492. नदी के तट पर 493. नदी के तट पर 494. नदी के तट पर 495. नदी के तट पर 496. नदी के तट पर 497. नदी के तट पर 498. नदी के तट पर 499. नदी के तट पर 500. नदी के तट पर 501. नदी के तट पर 502. नदी के तट पर 503. नदी के तट पर 504. नदी के तट पर 505. नदी के तट पर 506. नदी के तट पर 507. नदी के तट पर 508. नदी के तट पर 509. नदी के तट पर 510. नदी के तट पर 511. नदी के तट पर 512. नदी के तट पर 513. नदी के तट पर 514. नदी के तट पर 515. नदी के तट पर 516. नदी के तट पर 517. नदी के तट पर 518. नदी के तट पर 519. नदी के तट पर 520. नदी के तट पर 521. नदी के तट पर 522. नदी के तट पर 523. नदी के तट पर 524. नदी के तट पर 525. नदी के तट पर 526. नदी के तट पर 527. नदी के तट पर 528. नदी के तट पर 529. नदी के तट पर 530. नदी के तट पर 531. नदी के तट पर 532. नदी के तट पर 533. नदी के तट पर 534. नदी के तट पर 535. नदी के तट पर 536. नदी के तट पर 537. नदी के तट पर 538. नदी के तट पर 539. नदी के तट पर 540. नदी के तट पर 541. नदी के तट पर 542. नदी के तट पर 543. नदी के तट पर 544. नदी के तट पर 545. नदी के तट पर 546. नदी के तट पर 547. नदी के तट पर 548. नदी के तट पर 549. नदी के तट पर 550. नदी के तट पर 551. नदी के तट पर 552. नदी के तट पर 553. नदी के तट पर 554. नदी के तट पर 555. नदी के तट पर 556. नदी के तट पर 557. नदी के तट पर 558. नदी के तट पर 559. नदी के तट पर 560. नदी के तट पर 561. नदी के तट पर 562. नदी के तट पर 563. नदी के तट पर 564. नदी के तट पर 565. नदी के तट पर 566. नदी के तट पर 567. नदी के तट पर 568. नदी के तट पर 569. नदी के तट पर 570. नदी के तट पर 571. नदी के तट पर 572. नदी के तट पर 573. नदी के तट पर 574. नदी के तट पर 575. नदी के तट पर 576. नदी के तट पर 577. नदी के तट पर 578. नदी के तट पर 579. नदी के तट पर 580. नदी के तट पर 581. नदी के तट पर 582. नदी के तट पर 583. नदी के तट पर 584. नदी के तट पर 585. नदी के तट पर 586. नदी के तट पर 587. नदी के तट पर 588. नदी के तट पर 589. नदी के तट पर 590. नदी के तट पर 591. नदी के तट पर 592. नदी के तट पर 593. नदी के तट पर 594. नदी के तट पर 595. नदी के तट पर 596. नदी के तट पर 597. नदी के तट पर 598. नदी के तट पर 599. नदी के तट पर 600. नदी के तट पर 601. नदी के तट पर 602. नदी के तट पर 603. नदी के तट पर 604. नदी के तट पर 605. नदी के तट पर 606. नदी के तट पर 607. नदी के तट पर 608. नदी के तट पर 609. नदी के तट पर 610. नदी के तट पर 611. नदी के तट पर 612. नदी के तट पर 613. नदी के तट पर 614. नदी के तट पर 615. नदी के तट पर 616. नदी के तट पर 617. नदी के तट पर 618. नदी के तट पर 619. नदी के तट पर 620. नदी के तट पर 621. नदी के तट पर 622. नदी के तट पर 623. नदी के तट पर 624. नदी के तट पर 625. नदी के तट पर 626. नदी के तट पर 627. नदी के तट पर 628. नदी के तट पर 629. नदी के तट पर 630. नदी के तट पर 631. नदी के तट पर 632. नदी के तट पर 633. नदी के तट पर 634. नदी के तट पर 635. नदी के तट पर 636. नदी के तट पर 637. नदी के तट पर 638. नदी के तट पर 639. नदी के तट पर 640. नदी के तट पर 641. नदी के तट पर 642. नदी के तट पर 643. नदी के तट पर 644. नदी के तट पर 645. नदी के तट पर 646. नदी के तट पर 647. नदी के तट पर 648. नदी के तट पर 649. नदी के तट पर 650. नदी के तट पर 651. नदी के तट पर 652. नदी के तट पर 653. नदी के तट पर 654. नदी के तट पर 655. नदी के तट पर 656. नदी के तट पर 657. नदी के तट पर 658. नदी के तट पर 659. नदी के तट पर 660. नदी के तट पर 661. नदी के तट पर 662. नदी के तट पर 663. नदी के तट पर 664. नदी के तट पर 665. नदी के तट पर 666. नदी के तट पर 667. नदी के तट पर 668. नदी के तट पर 669. नदी के तट पर 670. नदी के तट पर 671. नदी के तट पर 672. नदी के तट पर 673. नदी के तट पर 674. नदी के तट पर 675. नदी के तट पर 676. नदी के तट पर 677. नदी के तट पर 678. नदी के तट पर 679. नदी के तट पर 680. नदी के तट पर 681. नदी के तट पर 682. नदी के तट पर 683. नदी के तट पर 684. नदी के तट पर 685. नदी के तट पर 686. नदी के तट पर 687. नदी के तट पर 688. नदी के तट पर 689. नदी के तट पर 690. नदी के तट पर 691. नदी के तट पर 692. नदी के तट पर 693. नदी के तट पर 694. नदी के तट पर 695. नदी के तट पर 696. नदी के तट पर 697. नदी के तट पर 698. नदी के तट पर 699. नदी के तट पर 700. नदी के तट पर 701. नदी के तट पर 702. नदी के तट पर 703. नदी के तट पर 704. नदी के तट पर 705. नदी के तट पर 706. नदी के तट पर 707. नदी के तट पर 708. नदी के तट पर 709. नदी के तट पर 710. नदी के तट पर 711. नदी के तट पर 712. नदी के तट पर 713. नदी के तट पर 714. नदी के तट पर 715. नदी के तट पर 716. नदी के तट पर 717. नदी के तट पर 718. नदी के तट पर 719. नदी के तट पर 720. नदी के तट पर 721. नदी के तट पर 722. नदी के तट पर 723. नदी के तट पर 724. नदी के तट पर 725. नदी के तट पर 726. नदी के तट पर 727. नदी के तट पर 728. नदी के तट पर 729. नदी के तट पर 730. नदी के तट पर 731. नदी के तट पर 732. नदी के तट पर 733. नदी के तट पर 734. नदी के तट पर 735. नदी के तट पर 736. नदी के तट पर 737. नदी के तट पर 738. नदी के तट पर 739. नदी के तट पर 740. नदी के तट पर 741. नदी के तट पर 742. नदी के तट पर 743. नदी के तट पर 744. नदी के तट पर 745. नदी के तट पर 746. नदी के तट पर 747. नदी के तट पर 748. नदी के तट पर 749. नदी के तट पर 750. नदी के तट पर 751. नदी के तट पर 752. नदी के तट पर 753. नदी के तट पर 754. नदी के तट पर 755. नदी के तट पर 756. नदी के तट पर 757. नदी के तट पर 758. नदी के तट पर 759. नदी के तट पर 760. नदी के तट पर 761. नदी के तट पर 762. नदी के तट पर 763. नदी के तट पर 764. नदी के तट पर 765. नदी के तट पर 766. नदी के तट पर 767. नदी के तट पर 768. नदी के तट पर 769. नदी के तट पर 770. नदी के तट पर 771. नदी के तट पर 772. नदी के तट पर 773. नदी के तट पर 774. नदी के तट पर 775. नदी के तट पर 776. नदी के तट पर 777. नदी के तट पर 778. नदी के तट पर 779. नदी के तट पर 780. नदी के तट पर 781. नदी के तट पर 782. नदी के तट पर 783. नदी के तट पर 784. नदी के तट पर 785. नदी के तट पर 786. नदी के तट पर 787. नदी के तट पर 788. नदी के तट पर 789. नदी के तट पर 790. नदी के तट पर 791. नदी के तट पर 792. नदी के तट पर 793. नदी के तट पर 794. नदी के तट पर 795. नदी के तट पर 796. नदी के तट पर 797. नदी के तट पर 798. नदी के तट पर 799. नदी के तट पर 800. नदी के तट पर 801. नदी के तट पर 802. नदी के तट पर 803. नदी के तट पर 804. नदी के तट पर 805. नदी के तट पर 806. नदी के तट पर 807. नदी के तट पर 808. नदी के तट पर 809. नदी के तट पर 810. नदी के तट पर 811. नदी के तट पर 812. नदी के तट पर 813. नदी के तट पर 814. नदी के तट पर 815. नदी के तट पर 816. नदी के तट पर 817. नदी के तट पर 818. नदी के तट पर 819. नदी के तट पर 820. नदी के तट पर 821. नदी के तट पर 822. नदी के तट पर 823. नदी के तट पर 824. नदी के तट पर 825. नदी के तट पर 826. नदी के तट पर 827. नदी के तट पर 828. नदी के तट पर 829. नदी के तट पर 830. नदी के तट पर 831. नदी के तट पर 832. नदी के तट पर 833. नदी के तट पर 834. नदी के तट पर 835. नदी के तट पर 836. नदी के तट पर 837. नदी के तट पर 838. नदी के तट पर 839. नदी के तट पर 840. नदी के तट पर 841. नदी के तट पर 842. नदी के तट पर 843. नदी के तट पर 844. नदी के तट पर 845. नदी के तट पर 846. नदी के तट पर 847. नदी के तट पर 848. नदी के तट पर 849. नदी के तट पर 850. नदी के तट पर 851. नदी के तट पर 852. नदी के तट पर 853. नदी के तट पर 854. नदी के तट पर 855. नदी के तट पर 856. नदी के तट पर 857. नदी के तट पर 858. नदी के तट पर 859. नदी के तट पर 860. नदी के तट पर 861. नदी के तट पर 862. नदी के तट पर 863. नदी के तट पर 864. नदी के तट पर 865. नदी के तट पर 866. नदी के तट पर 867. नदी के तट पर 868. नदी के तट पर 869. नदी के तट पर 870. नदी के तट पर 871. नदी के तट पर 872. नदी के तट पर 873. नदी के तट पर 874. नदी के तट पर 875. नदी के तट पर 876. नदी के तट पर 877. नदी के तट पर 878. नदी के तट पर 879. नदी के तट पर 880. नदी के तट पर 881. नदी के तट पर 882. नदी के तट पर 883. नदी के तट पर 884. नदी के तट पर 885. नदी के तट पर 886. नदी के तट पर 887. नदी के तट पर 888. नदी के तट पर 889. नदी के तट पर 890. नदी के तट पर 891. नदी के तट पर 892. नदी के तट पर 893. नदी के तट पर 894. नदी के तट पर 895. नदी के तट पर 896. नदी के तट पर 897. नदी के तट पर 898. नदी के तट पर 899. नदी के तट पर 900. नदी के तट पर 901. नदी के तट पर 902. नदी के तट पर 903. नदी के तट पर 904. नदी के तट पर 905. नदी के तट पर 906. नदी के तट पर 907. नदी के तट पर 908. नदी के तट पर 909. नदी के तट पर 910. नदी के तट पर 911. नदी के तट पर 912. नदी के तट पर 913. नदी के तट पर 914. नदी के तट पर 915. नदी के तट पर 916. नदी के तट पर 917. नदी के तट पर 918. नदी के तट पर 919. नदी के तट पर 920. नदी के तट पर 921. नदी के तट पर 922. नदी के तट पर 923. नदी के तट पर 924. नदी के तट पर 925. नदी के तट पर 926. नदी के तट पर 927. नदी के तट पर 928. नदी के तट पर 929. नदी के तट पर 930. नदी के तट पर 931. नदी के तट पर 932. नदी के तट पर 933. नदी के तट पर 934. नदी के तट पर 935. नदी के तट पर 936. नदी के तट पर 937. नदी के तट पर 938. नदी के तट पर 939. नदी के तट पर 940. नदी के तट पर 941. नदी के तट पर 942. नदी के तट पर 943. नदी के तट पर 944. नदी के तट पर 945. नदी के तट पर 946. नदी के तट पर 947. नदी के तट पर 948. नदी के तट पर 949. नदी के तट पर 950. नदी के तट पर 951. नदी के तट पर 952. नदी के तट पर 953. नदी के तट पर 954. नदी के तट पर 955. नदी के तट पर 956. नदी के तट पर 957. नदी के तट पर 958. नदी के तट पर 959. नदी के तट पर 960. नदी के तट पर 961. नदी के तट पर 962. नदी के तट पर 963. नदी के तट पर 964. नदी के तट पर 965. नदी के तट पर 966. नदी के तट पर 967. नदी के तट पर 968. नदी के तट पर 969. नदी के तट पर 970. नदी के तट पर 971. नदी के तट पर 972. नदी के तट पर 973. नदी के तट पर 974. नदी के तट पर 975. नदी के तट पर 976. नदी के तट पर 977. नदी के तट पर 978. नदी के तट पर 979. नदी के तट पर 980. नदी के तट पर 981. नदी के तट पर 982. नदी के तट पर 983. नदी के तट पर 984. नदी के तट पर 985. नदी के तट पर 986. नदी के तट पर 987. नदी के तट पर 988. नदी के तट पर 989. नदी के तट पर 990. नदी के तट पर 991. नदी के तट पर 992. नदी के तट पर 993. नदी के तट पर 994. नदी के तट पर 995. नदी के तट पर 996. नदी के तट पर 997. नदी के तट पर 998. नदी के तट पर 999. नदी के तट पर 1000. नदी के तट पर	551	02	174.25	

4 1 4 किलो डोडा-पोस्त के साथ पंजाब के दो तस्कर ए.एन.टी.एफ. के हत्थे चढ़े

चित्तौड़गढ़ से पंजाब जा रही थी नशे की खेप, एएनटीएफ टीम ने घेराबंदी कर दो लग्जरी कारों में भरे मादक पदार्थ को जब्त किया

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने प्रदेश में 3 जगह मादक पदार्थ तस्करों पर शिकंजा कसा। भीलवाड़ा में लग्जरी कार में 414 किलो डोडा-पोस्त ले जा रहे नाबालिग समेत 2 आरोपियों को दबोचा। इसी तरह बीकानेर जिले के रणजीतपुरा थाना क्षेत्र से 92 अफीम के पौधों के साथ एक आरोपी को पकड़ा। इसी तरह फलौदी जिले में 48 ग्राम अवैध डोडा-पोस्त और

■ **बीकानेर में 92 अफीम के पौधे तथा फलौदी में 44.60 ग्राम अफीम और 498.20 ग्राम डोडा-चूरा के साथ तस्कर दबोचे**

44.60 ग्राम अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया। यह जानकारी ए.एन.टी.एफ. के महानिरीक्षक विकास कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि एंडीजी दिनेश एम.एन. के मार्गदर्शन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

आईजी विकास कुमार ने बताया कि एएनटीएफ टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चित्तौड़-जयपुर नेशनल हाईवे-48 पर चित्तौड़गढ़ की ओर से एक स्कोर्पियो और एक औरा कार में बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ भरकर पंजाब ले जाया जा रहा

है। सूचना के बाद एएनटीएफ टीम ने नाकाबंदी कर जाल बिछाया। कुछ देर बाद संदिग्ध गाड़ियां वहां पहुंची तो टीम ने उन्हें घेर लिया। तलाशी लेने पर दोनों कारों में 414 डोडा-पोस्त मिला। इस पर एएनटीएफ ने पंजाब के लुधियाना निवासी अरूण सिंह (20) को गिरफ्तार किया और एक नाबालिग को निरूद्ध किया। इसी प्रकार बीकानेर के रणजीतपुरा क्षेत्र में गेनाराम (55) ने अपने खेत में अफीम के पौधे उगा रखे थे, इसकी सूचना मिलते ही

एएनटीएफ ने मौके पर पहुंचकर 92 अफीम के पौधों के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। तीसरकी कार्रवाई नागौर एएनटीएफ टीम ने की। मुखबिर से सूचना मिली थी कि जगदीश विश्‍नोई निवासी जांबा की ढाणी फलौदी के आसपास तस्करी करता है। इस पर टीम ने आरोपी के घर दबिश देकर 44.60 ग्राम अफीम और 498.20 ग्राम डोडा-चूरा जब्त किया। नशीली सामग्री तलाशने में डॉंग स्क्वॉड की मदद ली गई।

बारिश-ओलावृष्टि से 1 0 डिग्री तक गिरा प्रदेश के शहरों का पारा

मौसम विभाग ने 1 8 से 2 1 मार्च तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी-बारिश की चेतावनी दी

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । पश्चिम विक्षोभ के असर से प्रदेश के कई शहरों में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली। इससे प्रदेश के शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश के शहरों के तापमान में 10 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि 18 मार्च को एक और मजबूत पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 18 से 21 मार्च तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी-बारिश देखने को मिलेगा।

मौसम विभाग के अनुसार 11 डिग्री के साथ फतेहपुर की रात सबसे सर्द रही। जोधपुर के रात के तापमान में 10.3 और श्रीगंगनगर के दिन के

तापमान में सबसे ज्यादा 4.3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश के अधिकांश शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तीन शहरों को छोड़कर बाकी का दिन का तापमान 37 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। 38.6 डिग्री के साथ चित्तौड़गढ़-बाड़मेर का दिन और 23.4 डिग्री के साथ फलौदी की रात सबसे गर्म रही। फलौदी के अलावा पाली, कोटा और बाड़मेर का रात का तापमान 20 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 18 से 21 मार्च एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। रविवार

को प्रदेश के कई भागों में मेघगर्जन, हल्की बारिश के प्रभाव से तापमान में 2-4 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। 17 मार्च को राज्य में मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ 18-21 मार्च के दौरान सक्रिय होने तथा कहीं-कहीं मेघगर्जन, तेज आंधी (40-50 किमी प्रतिघंटा) व बारिश होने की प्रबल संभावना है। 18 मार्च को जोधपुर, बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन, आंधी के साथ हल्की बारिश, शेष भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। 19-20

मार्च को विक्षोभ का सर्वाधिक असर रहने तथा जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ तेज आंधी (40-50 किमी प्रतिघंटा) व बारिश होने की संभावना है।

जयपुर में रविवार को हल्की बूंदबांदी दर्ज की गई। इसके बाद चली हवाओं से रात के पारे में 4 डिग्री से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। जयपुर के दिन के तापमान में भी करीब दो डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को धूप में तीखापन कम नजर आया। जयपुर का अधिकतम तापमान 33.9 और न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री दर्ज किया गया।

सलमान खान और राजश्री की रिवीजन खारिज

भगवान अटलानी को “साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025” मिलेगा



जयपुर । वरिष्ठ लेखक, पत्रकार एवं साहित्यकार भगवान अटलानी को सिंधी भाषा उनकी कहानी संग्रह “बाघू” के लिए “साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025” से नवाजा जायेगा। आगामी 31 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में उन्हें ताम्रफर्दक, शॉल और एक लाख रुपये की राशि से पुरस्कृत किया जायेगा। ज्ञात रहे कि केन्द्रीय साहित्य अकादमी ने सोमवार को 24 भाषाओं में कविता, उपन्यास, कहानी, निबंध, साहित्यिक आलोचना, आत्मकथा व संस्मरण की श्रेणी में “साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025” की घोषणा की। गौरतलब है कि जयपुर निवासी वरिष्ठ साहित्यकार भगवान अटलानी की 40 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। भगवान अटलानी वर्ष 1997 से 2000 तक राजस्थान सिंधी अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जयपुर से किसी भी लेखक को पहली बार सिंधी भाषा में यह पुरस्कार मिलेगा।

जयपुर । राज्य उपभोक्ता आयोग ने राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान और राजश्री की ओर से दायर रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है।

आयोग अध्यक्ष जस्टिस देवेन्द्र कच्छावाहा और न्यायिक सदस्य अरुण कुमार अग्रवाल व सदस्य लियाकत अली ने अपने आदेश में कहा कि भारत जैसे विशाल देश में केवल दिल्ली में स्थित केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को इस तरह की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में विधायिका को पुनर्विचार करना चाहिए।

वहीं कम से कम राज्य आयोग व उसकी पीठ को इस तरह के प्रकरण सीधे सुनने के प्रावधान करना चाहिए, ताकि

इस संबंध में भ्रांति दूर हो और आम जन को भ्रामक विज्ञापनों से राहत मिल सके। आयोग ने कहा कि मामले में परिवादी को परिवार दायर करने का अधिकार को लेकर जिला आयोग में प्रार्थना पत्र लंबित है। ऐसे में इसी आधार पर राज्य आयोग में प्रार्थना पत्र पेश कर जिला आयोग का काम राज्य आयोग से करने की प्रयास किया जा रहा है।

रिवीजन याचिकाओं में जिला उपभोक्ता आयोग, क्रम 2 के गत 6 जनवरी और 15 जनवरी के उन आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत आयोग ने राजश्री पान मसाला के भ्रामक प्रचार पर रोक लगाते हुए सलमान खान के हस्ताक्षर मौका कमिश्नर की उपस्थिति में कराने को कहा गया था। रिवीजन याचिका में कहा गया कि

अधिनियम की धारा 89 में भ्रामक विज्ञापन के मामले में दंड का प्रावधान है और धारा 92 में स्पष्ट किया गया है कि केन्द्रीय प्राधिकरण या उसकी ओर से अधिकृत अधिकारी ही धारा 88 व धारा 89 के तहत परिवार पेश कर सकता है।

इसके अलावा मामले में परिवादी उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है। जिसे अस्वीकार करते हुए राज्य आयोग ने दोनों रिवीजन याचिकाओं को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि योगेन्द्र सिंह ने जिला आयोग में परिवार पेश कर राजश्री पान मसाला की ओर से उत्पाद की बिक्री नहीं करने और सलमान खान को इसका भ्रामक विज्ञापन नहीं करने के लिए पाबंद करने की गुहार की गई थी।

मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट के संचालन पर रोक

जयपुर । जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने गौरव टॉवर स्थित मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में हानिकारक तेल में खाद्य सामग्री बनाने से जुड़े मामले में रेस्टोरेंट के संचालन पर अंतिम रोक लगा दी है। वहीं फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह को पाबंद किया है कि वह रेस्टोरेंट का भ्रामक प्रचार-प्रसार नहीं करे। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा, सदस्य सुप्रिया अग्रवाल व अजय कुमार ने यह निर्देश परिवादी गौरव तिवाड़ी के स्ट्रे प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में कहा कि विपक्षी के मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में फास्ट फूड की बिक्री की जाती है। गत 9 फरवरी को खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय की टीम ने मैकडॉनल्ड्स

रेस्टोरेंट, गौरव टावर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम को वहां पर दूषित खाद्य तेल में खाद्य सामग्री बनाते हुए मिली। जिस खाद्य तेल का उपयोग किया जा रहा था, उसका टीपीसी स्तर 28 व 31 पाया गया। वैधानिका टीपीसी सीमा 25 तय है। विशेषज्ञों के अनुसार 25 से ज्यादा टीपीसी वाला तेल विषाक्त है। यह तेल कैन्सर व हार्ट की बीमारी के लिए भी प्रमुख कारण बनता है, लेकिन फिर भी मैकडॉनल्ड्स फिल्म अभिनेता के जरिए भ्रामक प्रचार-प्रसार कर अपने फूड ग्रॉडक्ट को बेच रहा है। ऐसे में इसकी खाद्य वस्तुओं पर बेचने पर रोक लगाकर इसे पाबंद किया जाए। जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो।

जिला प्रशासन ने भी जब्त किए 5 6 सिलेंडर

जयपुर (कासं)। जयपुर कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण के तीन विशेष प्रवर्तन दलों ने सोमवार को राजधानी में जगह-जगह छापामार कार्रवाई करते हुए 5 6 घरेलू एवं व्यवसायिक गैस सिलेंडर, 4 इलेक्ट्रॉनिक मोटर, 4 कांटे तथा 3 रेगुलेटर जब्त किए गए। इसके साथ ही संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज करवाई गई।

पुलिस से प्राप्त सूचना पर ब्रह्मपुरी क्षेत्र, आमेर रोड जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध रिफिलिंग की पुष्टि हुई। मौके से 20 थोस गैस सिलेंडर, 2 इलेक्ट्रॉनिक मोटर एवं 2 कांटे जब्त किए गए।

पुलिस की सूचना के आधार पर गोपालपुरा बाईपास स्थित श्याम एवं गोयनका जनरल स्टोर पर कार्रवाई की गई। यहां घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध रिफिलिंग कर कालाबाजारी किए जाने की पुष्टि होने पर 23 घरेलू गैस सिलेंडर, 2 इलेक्ट्रॉनिक मोटर एवं 2 कांटे जब्त किए गए। विष्णु मिश्रान भंडार पर व्यवसायिक गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग एवं कालाबाजारी की पुष्टि हुई। मौके से 13 व्यवसायिक गैस सिलेंडर तथा 3 रेगुलेटर जब्त किए गए। विशेष प्रवर्तन दल द्वारा एक गैस एजेंसी का भी निरीक्षण किया गया। एजेंसी संचालकों को घरेलू गैस सिलेंडरों की निबॉध आपूर्ति करने, उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने तथा एजेंसी परिसर में आमजन की अनावश्यक कतौन नहीं लगने देने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन ने स्पष्ट

जयपुर में पांच नई लैंड पूलिंग योजनाएं लाने की तैयारी में जुटा जेडीए प्रशासन

सांगानेर, बस्सी और कालवाड़ रोड पर होंगी यह योजनाएं

जयपुर (कासं)। जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में सोमवार को जेडीए के चिंतन सभागार में लैंड पूलिंग योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जयपुर के सुनियोजित एवं संतुलित नगरीय विकास को गति देने के उद्देश्य से पाँच नई लैंड पूलिंग योजनाएँ प्रस्तावित की गईं। बैठक में जोन-14 में महल रोड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रामचन्द्रपुरा, विधाणी, रामपुरा उर्फ कंवरपुरा, जयचंदपुरा एवं विमलपुरा (तहसील सांगानेर) में लगभग 350 हैक्टेयर क्षेत्र में दो लैंड पूलिंग योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया। इसके अतिरिक्त जोन-8 में सांगानेर, जोन-10 में बस्सी तथा जोन-12 में कालवाड़ क्षेत्र में एक-एक लैंड पूलिंग योजना प्रस्तावित की गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा राज्य बजट में प्रदेशभर

गोविंददेवजी मंदिर से आठों दिशाओं के लिए 8 सजे-धजे अश्व रवाना

जयपुर । चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होने वाले भारतीय नववर्ष नवसंवत्सर- 2083 के स्वागत में जयपुर तैयार है। आराध्य देव गोविंद देवजी मंदिर से महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सान्निध्य में आठों दिशाओं के लिए आठ सजे धजे अश्व रवाना किए गए। संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष पं. सुरेश मिश्रा

■ **भारतीय नववर्ष के स्वागत की तैयारियां शुरू**

ने संतों-महंतों एवं गणमान्य लोगों के साथ चार श्वेत अश्वों को जयपुर शहर की चारों दिशाओं-पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण-की ओर रवाना किया। इससे पूर्व चारों अश्वों का पूजन किया गया।

इस मौके पर भाजपा नेता रवि नैय्यर, निवर्तमान उप महापौर पुनीत कर्णानंद, घाट के बालाजी मंदिर के महंत सुदर्शनार्य, रामगंज बाजार के कांवंटियो का खुर्रां स्थित प्राचीन रामचंद्र जी मंदिर के महंत पं. लोकेश मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता एच सी गणेशिया, पं. दिनेश शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। ये अश्व शहर के प्रमुख मंदिरों में पहुंचकर भारतीय नवसंवत्सर के प्रचार-प्रसार का संदेश देंगे। ये अश्व



ईशान दिशा में खोले के हनुमान मंदिर, पूर्व में गलताजी, आग्नेय में गोनेर मंदिर, दक्षिण में सांगा बाबा, नैऋत्य में स्वामीनारायण मंदिर, पश्चिम में हाथोज हनुमानजी, वायव्य में कदम्ब ढूंगरी तथा उत्तर में आमेर काले हनुमान मंदिर तक जाएंगे और नवसंवत्सर का संदेश देंगे। अश्वों के साथ समिति के

कार्यकर्ता पम्पलेट वितरित करते हुए युवाओं से भारतीय नववर्ष को धूमधाम से मनाने का आ न कर रहे हैं। वहीं 19 मार्च को जयपुर के प्रमुख मंदिरों में घंटे-घडियाल बजाकर नवभोर का स्वागत किया जाएगा। शाम को गोविंददेवजी मंदिर में महाआरती का आयोजन होगा।

नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाला सौतेला पिता गिरफ्तार

जयपुर । सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को गिरफ्तार किया है है। बताया जा रहा है की वर्ष -2018 में सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी को डरा-धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया था । बेटी ने मामले की जानकारी अपनी मां को दी। जिसके बाद आरोपी घर से 2 लाख रुपए नकद व गहने लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी पिता की गिरफ्तारी के लिए तीन हजार का इनाम घोषित किया था। जयपुर पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम) हनुमान प्रसाद ने बताया कि पीडिता की मां ने मामला दर्ज कराया था कि पति से अननभ होने के कारण वो अपनी बेटी के साथ अलग रह रही थी। तभी आरोपी से उसकी मुलाकात हुई । आरोपी ने वर्ष -2018 में आरोपी ने नाबालिग बेटी को डरा-धमकाकर देहशोषण किया। बेटी ने आरोपी की उसकी करतूत के बारे में अपनी मां को बताया। आरोपी को इस बात की भनक लग गई और वो घर से 2 लाख रुपए नकद व गहने चोरी कर मौके से फरार हो गया।

खाद्य मंत्री ने किया 1 8 1 हैल्पलाइन का निरीक्षण

गैस एजेंसियों की अनियमितता पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सोमवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क सेवा (181) का निरीक्षण किया और दूरभाष के माध्यम से आमजन से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान करने के निर्देश दिए।

यह निरीक्षण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उस निर्देश के क्रम में किया गया, जिसमें घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया है। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने डीडबाना-

कुचामन के परबतसर, सीकर, बालोतरा, किशनगढ़ (अजमेर), सिणधरी, साहवा, सूरतगढ़, कोटपुतली-बहरोड़ और केकड़ी सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से दूरभाष पर बातचीत कर उनकी शिकायतें सुनीं। उन्होंने प्रदेश में घरेलू रसोई गैस की पर्याप्त उपलब्धता का भरोसा दिलाया।

मंत्री ने स्पष्ट कहा कि गैस सिलेंडर वितरण के समय ओटीपी की प्रक्रिया का पालन नहीं करने या बुकिंग के 2-

3 दिन के भीतर सिलेंडर नहीं पहुंचाने जैसी अनियमितताओं पर संबंधित गैस एजेंसियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से केवाईसी

प्रक्रिया भी पूरी करवाने का आग्रह किया। इस दौरान मंत्री ने संपर्क सेवा पर प्राप्त शिकायतों की संख्या, उनके निस्तारण की अवधि और लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक परिवादी की समस्या का त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा समय-समय पर लोगों से प्रतिक्रिया लेकर व्यवस्था में सुधार किया जाए।

मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को नियमित रूप से संपर्क सेवा पर उपस्थित होकर आमजन से सीधे संवाद करने और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश भी दिए।



पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने सोमवार को बगरू स्थित रामदेव गोशाला में गौ पूजन किया।

गोशालाओं की अनुदान राशि में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। विभागीय निदेशक डॉ. सुरेश मीना ने बताया कि खुरपका-मुंहपका एक अत्यंत संक्रामक रोग है, जिससे पशुओं की उत्पादकता प्रभावित होती है और पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस रोग की रोकथाम के लिए नियमित टीकाकरण अत्यंत आवश्यक है। अभियान के शुभारंभ से पूर्व मंत्री कुमावत ने गौवंश की पूजा कर उन्हें चारा खिलाया तथा गोशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने टीकाकरण दल

को टीके का कैरियर भेंट किया। मौके पर ही दल के सदस्यों ने गौवंश का टीकाकरण किया।

इस अवसर पर पशुपालन विभाग के निदेशक और आरएलडीबी के कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुरेश मीना, रामदेव गोशाला के महामंत्री भंवरलाल वर्मा, नगर निगम के उपाध्यक्ष अजय, पूर्व सरपंच प्रभुदयाल वर्मा, सरपंच हेमंत मीना तथा पंचश्री से सम्मानित भजन गायक मुन्ना मास्टर तथा पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

‘राजस्थान में वीरांगनाओं के आत्म सम्मान व बलिदान की गौरव गाथाएं अमर हैं’

सिरे मंदिर धाम स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर की वर्षगांठ पर महायज्ञ और धर्मसभा का आयोजन

जालोर, (कासं)। जालोर के सिरे मंदिर धाम स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर की 375वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोमवार को गोरक्षधाम गोरखपुर के मठाधीश एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भैरूनाथ अखाड़े के महंत पीर गंगानाथ महाराज की उपस्थिति में महायज्ञ और धर्मसभा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ में आहुति देकर भगवान शिव की पूजा-अर्चना की गई। धर्मसभा को सम्बोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जातियां समाज को व्यवस्थित रूप से संचालित करने का माध्यम है, लेकिन जातिवाद उस व्यवस्था को विकृत कर देता है। भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और मनुष्य के रूप में जन्म लेना उससे भी अधिक दुर्लभ है। दुनिया में करीब 200 देश हैं, लेकिन भारत जैसा देश कहीं नहीं है।

योगी ने सिरे मंदिर की बारीक कारीगरी को अद्भुत बताते हुए कहा कि महाराजा मानसिंह ने शिलालेखों के माध्यम से यहां के इतिहास को सहेजने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने सिरे मंदिर की कारीगरी को दुर्लभ बताया। इसे देश दुनिया देखने आती है। यह कला ईश्वर की देन है। जोधपुर के महाराजा नरेश मानसिंह ने शिलालेखों पर इतिहास



जालोर में सिरे मंदिर धाम पर आयोजित धर्मसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया।

को सहेजा है। उस समय मानसिंह ने 3 लाख 51 हजार रुपए खर्च किए थे, जो आज के समय में करोड़ों रुपए के बराबर है। उन्होंने कहा कि जौहर राजस्थान की परंपरा का तेज है, जिसने वीरांगनाओं के आत्म सम्मान और बलिदान की गौरवगाथा को अमर किया। जालोर में भी अलाउद्दीन खिलजी के समय और उसके बाद भी जौहर की परंपरा देखने

को मिली है। यह परंपरा वीरों और वीरांगनाओं के बलिदान से बनी है। योगी ने कहा कि धर्म समाज को जोड़ने का माध्यम होना चाहिए। जातियां समाज को व्यवस्थित रूप से संचालित करने का माध्यम हैं, लेकिन जातिवाद उस व्यवस्था को विकृत कर देता है। इस अवसर पर जालंधर नाथ जी की धन्य धरा पर अति प्राचीन रत्नेश्वर महादेव

मंदिर के 375 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दो दिवसीय महायज्ञ एवं विशाल धर्म सभा में भैरूनाथ जी अखाड़े के महंत पीरजी गंगानाथ महाराज, गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज, बाबा मस्तनाथ पीठाधीश्वर एवं तिजारा के विधायक योगी बालकनाथ महाराज, महंत योगी नरहरि नाथ महाराज, योगी

■ गोरक्षधाम गोरखपुर के मठाधीश एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भैरूनाथ अखाड़े के महंत पीर गंगानाथ महाराज सहित कई संत मौजूद रहे

संध्यानाथ महाराज, योगी डॉक्टर गिरवर्नाथ महाराज, योगी रूपनाथ, योगी केशवनाथ, काशीनाथ महाराज, महंत रामनाथ, पंचम नाथ महाराज, सुंदरिनाथ महाराज, योगी कमलनाथ, नारायणनाथ महाराज, मंगलाईनाथ महाराज, योगी विक्रमनाथ महाराज, योगी आनंदनाथ महाराज, योगी ईश्वर नाथ, राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग समेत कई साधु संत उपस्थित थे। कार्यक्रम संचालन व्यवस्थापक पारसमल परमार और नरपत आर्य ने किया। साथ ही पारसमल परमार ने सिरे मंदिर में गुरु परम्परा की पूरी जानकारी दी। मंदिर समिति और शहर व ग्रामीण लोगों की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुष्पहार पहनकर स्वागत किया गया।

बोलेरो जीप से 42 कार्टन शराब जब्त, दो गिरफ्तार



सदर थाना पुलिस ने बोलेरो जीप से शराब बरामद की।

डुंगरपुर, (निसं)। सदर थाना पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए एक बोलेरो जीप से 42 कार्टन शराब जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है।

सदर थानाधिकारी शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि अवैध शराब तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एएसआई प्रवीण सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने कल्याणपुर से माधुगामडा जाने वाली मुख्य सड़क पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक

बोलेरो कार को रुकने का इशारा किया। ड्राइवर से पूछताछ करने पर वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने बोलेरो की तलाशी ली, जिसमें अवैध रूप से किंगफिशर स्टूंग बीयर और अन्य अंग्रेजी शराब के कार्टन भरे हुए मिले। पुलिस ने बोलेरो से 42 कार्टन शराब बरामद की। ड्राइवर के पास शराब के परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं था। इस पर पुलिस ने शराब के साथ बोलेरो जीप को भी जब्त कर लिया। पुलिस ने मौके से फतेहलाल पुत्र शंकरजी मीणा निवासी सदकड़ी थाना

सेमारी जिला उदयपुर और महेन्द्र सिंह पुत्र किशोर सिंह निवासी कल्याणपुर थाना कल्याणपुर जिला उदयपुर को गिरफ्तार किया है।

जब्त की गई शराब में बीयर की 410 बोतलें, व्हिस्की के 264 पब्ले और देसी शराब के 96 पब्ले शामिल हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल, पुलिस दोनों गिरफ्तार आरोपियों से आगे की पूछताछ कर रही है। दंड ताकि तस्करी के नेटवर्क का पता लगाया जा सके।

भरतपुर में घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग करने पर चार जगह दबिश दी

भरतपुर, (निसं)। शहर में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए चार स्थानों पर छापेमारी की और 9 सिलेंडर जब्त किए। जल्द किए गए सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। इन मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

जिला रसद अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि भरतपुर जिले में घरेलू गैस

■ जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नौ सिलेंडर जब्त किए, जल्द किए गए सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था

सिलेंडरों की सभी उपभोक्ताओं तक पहुंच को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारे यहां घरेलू गैस की जो सप्लाई है, बिलकुल नियमित है। आज भी हमारे पास प्रातः काल 6,800 सिलेंडर लोगों को वितरण करने के लिए उपलब्ध थे,

जिनका आज वितरण हुआ है। इसके अलावा घरेलू गैस का कोई दुरुपयोग न हो, इसके लिए जिला स्तर पर जिला प्रवर्तन जांच दल का गठन किया गया है। वह हर स्तर पर जाकर घरेलू गैस की आपूर्ति पर निगरानी रखे हुए है। इसके

अलावा घरेलू गैस के दुरुपयोग करने के संबंध में भी जांच की जा रही है। भरतपुर शहर में जिन लोगों के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। आज चार स्थानों पर घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग करते हुए पाया गया, जिसमें चार स्थानों पर 9 सिलेंडरों को जब्त किया गया, जिसके तहत कार्रवाई की जाएगी।

हिस्ट्रीशीटर पर धमकी का आरोप

जोधपुर, (कासं)। शहर के मंडोर स्थित नगपुरा क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने जान की धमकी दी है। उसे वसूली के लिए धमका रहे हैं। आरोपियों में एक मंडोर थाने का हिस्ट्रीशीटर बताया गया है। इनके बीच में आपसी लेनदेन का विवाद होना भी बताया जाता है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज किया है।

थानाधिकारी किशनलाल ने बताया कि नगपुरा मंडोर निवासी रमेश कुमार पुत्र गुलाबराम सुथार की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि उसे पवन सोलंकी, नरेंद्र सिंह एवं महिपाल सिंह आदि जान की धमकी दे रहे हैं। उसे कॉल कर रूपयों की वसूली के लिए धमकाया जा रहा है। थानाधिकारी किशनलाल ने बताया कि परिवादी रमेश सुथार औ पवन सोलंकी के बीच में वर्ष 2017-18 में आपसी लेनदेन हुआ था, जोकि काफी रूपए थे।

सूने मकानों से लाखों के जेवर और नगदी चुराई

जोधपुर, (कासं)। कमिश्नरेट के जिला पूर्व एवं पश्चिम में नकबजनों ने दो सूने मकानों में सैध लगाकर वहां से लाखों के जेवर और नगदी चुरा ली। संबंधित थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अब जांच आरंभ की है।

झंवर पुलिस ने बताया कि कुमारिया नाडा बड़ला नगर निवासी मनोष पुत्र हीराराम जाट ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि दोपहर करीब 1 से 3 बजे के बीच उसके घर पर चोरी हुई। घटना के समय परिवार के सदस्य जॉर की फसल के लिए खेत पर गए हुए थे। इस बीच घर सूना था और चोर दिग्दर्शक दाखिल हुए। चोरों ने मुख्य गेट का ताला तोड़कर घर के अंदर आए और कमरे में रखी तिजोरी का लॉक तोड़ दिया। जहां रखी डेढ़ तोला सोने की कंठी, एक तोला सोने का बोरिया तथा पांच हजार रुपये की नकदी चोरी

कर ले गए। सूचना पर झंवर पुलिस ने मौका मुआयना किया। दूसरी तरफ मूलतः पीपाड़शहर के रतकुडिया हाल शिव शक्ति नगर, नांदड़ी में किराए पर रहने वाली गुड्डी देवी पत्नी सीताराम जाट ने रिपोर्ट दी कि उसके घर में चोरों द्वारा सैध लगाकर वहां से लाखों के जेवराल और नगदी चुरा ले गए।

चुरास की मौत : -उदयपुर में कुएं में डूबने से किसान की मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार रात में वल्लभनगर थाना क्षेत्र करणपुर घाटी तलाई निवासी खेमराज (39) पुत्र ठाकरू मीणा की कुएं में डूबने से मौत हो गई। खेमराज खेत पर फसल को पानी पिलाने के लिए मोटर चालू करने गया। इस दौरान पांच फिसलने पर कुएं में गिरने से डूबने पर उसकी मौत हो गई।

15 लाख के गहने व्यापारी ने किसान को लौटाए

पाली, (निसं)। खैरवा गांव में अनाज व्यापारी ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। अनाज व्यापारी ने सच्चाई की मिसाल पेश करते हुए गेहूं के कट्टे में मिले किसान के करीब 15 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने सुरक्षित वापस लौटा दिए। यह मामला पाली जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित खैरवा गांव का है। यहां रहने वाले अनाज व्यापारी मांगू खान ने करीब 15 दिन पहले गांव के किसान घीसाराम घांची से 50-50 किलो के दो गेहूं के कट्टे खरीदे थे। उस समय किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इन कट्टों में गेहूं के साथ कीमती गहने भी रखे हुए हैं। किसान की पत्नी ने घर के गहने सुरक्षित रखने के लिए गेहूं के कट्टे में छिपा दिए थे लेकिन बाद में किसान ने अनजाने में वही कट्टे अनाज व्यापारी को बेच दिए।

10-12 से ज्यादा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, दो की हालत गंभीर

पुष्कर, (निसं)। पुष्कर के पुरुहा पहाड़ी स्थित चामुंडा माता मंदिर के दर्शन कर वापस पहाड़ी से वापसी के दौरान 10 से ज्यादा ब्राह्मण पंडितों पर मधुमक्खियों ने हमला कद दिया। इससे 10-12 से ज्यादा ब्राह्मण बटुक घायल हो गये। घायलों को पुष्कर के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो की हालत गंभीर है।

जानकारी के अनुसार रेस्क्यू कमेटी के अमित भट्ट, सावरा शर्मा समेत कई जनसेवक मधुमक्खियों के हमले से घायल ब्राह्मण पंडितों को पहाड़ी से रेस्क्यू करके उपचार के लिए नीचे उतारा और 108 सेवा वाहन से पुष्कर अस्पताल पहुंचाया गया। पुष्कर अस्पताल में 10 से 12 घायल वेद पंडितों को चिकित्सा दी जा रही है। इलाज के दौरान अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। गौरतलब है कि पुष्कर में 43 दिवसीय चल रहे गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ में भाग लेने के लिए यूपी, एमपी समेत कई राज्यों



चिकित्सकों ने अस्पताल में घायल बटुकों का इलाज किया।

से बटुक ब्राह्मण पंडित हवन यज्ञ में भाग लेने आए हुए हैं।

सोमवार दोपहर को 10-15 ब्राह्मण पंडित चामुंडा माता पुरुहा पहाड़ी दर्शन करने गए थे। दर्शन कर

लौटने के दौरान पहाड़ी पर मधुमक्खियों ने पंडितों पर हमला कर घायल कर दिया, जिसके चलते एक ब्राह्मण पंडित पहाड़ पर ही बेहोश हो गए। स्थानीय लोगों ने पुष्कर की

जनसेवा करने वाली रेस्क्यू टीम के लोगों को सूचना दी, जिसके चलते रेस्क्यू टीम ने घायल पंडितों को पहाड़ी से नीचे उतारकर पुष्कर अस्पताल पहुंचाया।

अज्ञात कारणों से गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लगी

चिड़ावा, (निसं)। क्षेत्र के बारी और

■ ग्रामीणों ने ट्रैक्टरों और पानी के टैंकों की सहायता से आग को फैलने से रोकने के प्रयास किए

चिड़ावा, (निसं)। क्षेत्र के बारी और भारमवासी गांव की सीमा पर सोमवार को एक खेत में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और पास ही खड़ी गेहूं की पकी हुई फसल को अपनी चपेट में ले लिया।

गनीमत यह रही कि समय रहते सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना बारी का बास निवासी अजय और अनिल बराला के खेत की है। दोपहर के समय अचानक उठी आग की लपटों ने खेत के बड़े हिस्से को कवर कर लिया।

चूंकि गेहूं की फसल पूरी तरह पक कर तैयार थी, इसलिए सूखी फसल ने तेजी से आग पकड़ ली। धुंए का गुबार देखकर आस-पास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मौके की सहायता से भी आग को फैलने से रोकने के प्रयास किए। फिलहाल आग लगने के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस घटना में किसान को आर्थिक नुकसान पहुंचा है।

विदेश से एमबीबीएस डिग्री वालों को दोबारा करनी होगी पढ़ाई

बीकानेर, (निसं)। विदेश से एमबीबीएस की डिग्री लेकर आए स्टूडेंट्स को लिए परेशानी खड़ी हो गई है। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने विदेशी मेडिकल छात्रों को दोबारा ऑफलाइन क्लास लेने के आदेश दिए हैं। यदि ऐसा होता है तो स्ट्रेप्ट मेडिकल काउंसिल परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं देगी।

काउंसिल का आदेश है कि कोरोना पॉरियड में जो पढ़ाई ऑनलाइन की गई थी, उसे अब फिजिकल ऑनसाइट क्लास और क्लिनिकल ट्रेनिंग लेनी होगी। एनएमसी सचिव डॉ. राखव लॉगर की ओर से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्ट्रेट मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार को यह आदेश भेजा गया है। इधर, इस आदेश के बाद विदेश से डिग्री लेकर आए स्टूडेंट के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। इसे लेकर सोमवार को दिल्ली में एनएमसी के मुख्यालय पर स्टूडेंट्स एकत्र हो रहे हैं। ये स्टूडेंट्स एनएमसी

के अधिकारियों से मिलकर नियम में छूट के लिए अपील करेंगे। वहीं इन आदेशों को लेकर स्टूडेंट्स ने एकजुट होने का आंदोलन छेड़ दिया है। जानकारी के अनुसार कोरोना काल के समय ऑनलाइन पढ़ाई की गई थी। ऐसे में आयोग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन विदेशी मेडिकल छात्रों ने अपने कोर्स का कोई हिस्सा ऑनलाइन माध्यम से किया है, उन्हें उसकी भरपाई के लिए फिजिकल ऑनसाइट (ऑफलाइन) क्लास और क्लिनिकल ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से करनी होगी।

मादक पदार्थ सहित दो गिरफ्तार

टोंक, (निसं)। जिला स्पेशल टीम ने बनेटा कस्बे में छापेमारी करते हुए रिकेश पुत्र रोहित सांसी व अफसर पुत्र इशाक मोहम्मद को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब पांच लाख रुपए की 22 ग्राम स्मैक, एक किलो दस ग्राम गांजा और दो बाइक जन्त की है। जिला स्पेशल टीम प्रभारी ओमप्रकाश चौधरी ने बताया कि मुखबिर की मिली सूचना पर टीम ने बाइक पर सवार दो आरोपी जो टोंक से चौथा का बरवाड़ा जा रहे थे, जिनसे पूछताछ के बाद मादक पदार्थ की बनेटा में सप्लाई करते हुए पकड़ लिया। इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास पांच लाख की कीमत की 22 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक व 50 हजार रुपए की कीमत का 1 किलो 10 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा एवं दो बाइक जन्त की गई।

दोस्तों में आपसी विवाद के बाद चाकूबाजी

मामले में आरोपी के पिता को पुलिस ने शांतिभंग में पकड़ा, आरोपी फरार

जोधपुर, (कासं)। शहर के विवेक विहार पुलिस थाना क्षेत्र के नंदवान गांव में दोस्तों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर धरेलू चाकू से हमला कर दिया। चाकू का वार दूसरे दोस्त की पीठ में लगा। उसे अस्पताल ले जाया गया और केस दर्ज किया गया। पीड़ित के भाई की तरफ से विवेक विहार थाने में इस बाबत रिपोर्ट दी गई है। मामले में आरोपी के पिता को पुलिस ने शांतिभंग में पकड़ा है, मगर आरोपी हाथ नहीं लगा है। विवेक विहार थाना पुलिस ने बताया कि बेनिवालों का बास नंदवान

निवासी बुधाराम पुत्र प्रतापराम जाट ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि उसका भाई जेठाराम और ताराचंद आपस में दोस्त हैं। 14 मार्च को शाम को यह लोग साथ बैठे थे। तब किसी बात को लेकर विवाद हो गया और ताराचंद ने उसकी पीठ पर घर में रखे चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह जख्मी हो गया। पुलिस ने बताया कि घायल को प्राथमिक उपचार करवाया गया। आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। उसके पिता को पुलिस ने शांतिभंग में पकड़ा है। मामले में जांच एसआई सरोज लता की तरफ से की जा रही है।

कैलादेवी का मेला शुरु, पहले दिन दो लाख से अधिक दर्शनार्थी पहुंचे

यूपी, एमपी, हरियाणा, दिल्ली तक के पद यात्रियों की कतारें लगी हुई हैं

कैलादेवी/करौली, (निसं)। उत्तरी भारत के सुप्रसिद्ध कैलादेवी के चैत्र नवरात्रा मेले का शुभारंभ हो गया। शुभारंभ के पहले दिन सोमवार को मां कैलादेवी के करीब 2 लाख से अधिक दर्शनार्थियों ने डोक लगाकर मनौती मांगी। वहीं मेले के शुभारंभ से पूर्व तीन दिन में करीब 3 लाख 50 हजार यात्री दर्शन लाभ ले चुके थे।

जानकारी के अनुसार हर वर्ष की भांति इस वर्ष उत्तरी भारत का सुप्रसिद्ध लखखी मेले का सोमवार को शुभारंभ हुआ शुभारंभ के पहले दिन प्रातः चार बजे से यानी मंगल दर्शनों से लेकर रात नौ बजे तक दर्शनार्थियों की मां के दर्शन में दर्शनों के लिए कतारें लगी रही और लांगुरिया गीतों एवं मां के जयकारों के साथ दर्शनार्थी दर्शनों का लाभ लेते रहे। उधर मां कैला देवी के दर्शनों के लिए दूर दराज देश के कई प्रदेशों खास तौर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तक के पद यात्रियों की कतार कैला देवी से करौली, हिंडौन, बयाना, मासलपुर सर, मथुरा बड़ी सड़क मार्ग पर होकर मां कैला देवी आस्था धाम पहुंचचं लगी हुई है। पद यात्रियों की सेवा में कैला देवी मंदिर ट्रस्ट और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। इनके अलावा क्षेत्र के भामाशाह और



कैलादेवी के चैत्र नवरात्रा मेले में दर्शनार्थियों ने मनौती मांगी।

सामाजिक कार्यकर्ताओं के अलावा बाहर के भामाशाह लोगों ने पद यात्रियों के लिए भोजन व्यवस्था, जलपान

चाय-नाश्ता आदि के निशुल्क भंडारे जगह-जगह संचालित कर पद यात्रियों की सेवा में जुटे हुए देखे जा रहे हैं। कैला

■ मेले के शुभारंभ से पूर्व तीन दिन में करीब 3 लाख 50 हजार यात्री दर्शन लाभ ले चुके थे

देवी मंदिर ट्रस्ट द्वारा करौली कैला देवी सड़क मार्ग पर दो विशाल भंडारे चालू कर रखे हैं। इनके अलावा करौली में कई स्थानों पर पद यात्रियों की सेवा में निशुल्क भंडारे भामाशाह और सामाजिक लोगों ने चला रखे हैं।

कैला देवी मंदिर ट्रस्ट के लीगल एडवाइजर और कंट्रोल रूम प्रभारी एडवोकेट संतोष सिंह ने बताया कि मंदिर ट्रस्ट द्वारा यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि मेले के पहले दिन करीब 2 लाख दर्शनार्थी दर्शन लाभ ले चुके थे। उन्होंने बताया कि मेले से तीन दिन पूर्व से ही दर्शनार्थियों की दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ी इन तीन दिनों में करीब 3 लाख 50 हजार दर्शन लाभ ले चुके थे।

मेला मिस्ट्रेट प्रेमराज मीना ने बताया कि जिला कलेक्टर की देखरेख में कैला देवी मेले की व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन और कैला देवी मंदिर ट्रस्ट पूर्ण रूप से मुस्तेदी से लगा हुआ है।

